राजस्थान स्वायत्त शासन

फरवरी, 2022

शहरी क्षेत्र में विकास व जन सुविधा के नये आयाम

विशेषांक

Unesco World Heritage City Award

Seven Wonders, Kota

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, जयपुर

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था

हमारे स्तम्भ

श्री केवलचन्द गुलेच्छा,
अध्यक्ष

स्व. श्री वैद्य गोविन्द नारायण शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष

श्री दिनेश मिश्र
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
लालसोट

श्री मुबारिक मंसूरी
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
झालरापाटन

श्री कैलाश शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
किशनगढ़ रेनवाल

श्री अब्दुल हमीद खोखर
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
चाकसू

श्री इकरामुद्दीन कुरैशी
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
रावतसर

श्री जीवन खान
सभापति, नगर परिषद्,
सीकर

श्री अली अहमद
सभापति, नगर परिषद्,
टोंक

श्री संदीप शर्मा
सभापति, नगर परिषद्,
चित्तौड़गढ़

श्री महेन्द्र कुमार मेवाड़ा
सभापति, नगर परिषद्,
सिरोही

श्री राजीव अग्रवाल
महापौर, नगर निगम,
कोटा (दक्षिण)

श्री अभिजीत कुमार
महापौर, नगर निगम,
भरतपुर

श्री हरिवल्लभ कल्ला
सभापति, नगर परिषद्,
जैसलमेर

श्रीमती मीतू बोथरा
सभापति, नगर परिषद्,
नागौर

श्री नारायण झँवर
अध्यक्ष, नगर पालिका,
नोखा

श्री कैलाश बोहरा
अध्यक्ष, नगर पालिका,
भवानीमण्डी

श्री सीताराम यादव
अध्यक्ष, नगर पालिका,
बहरोड़

श्री दर्शन सिंह
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
करौली (पूर्व विधायक करौली)

श्री कमल बाकोलिया
पूर्व महापौर, नगर निगम,
अजमेर

श्री लूणकरण बोथरा
पूर्व सभापति, नगर परिषद्,
बाड़मेर

श्री गौतम टांक
अध्यक्ष, नगर पालिका,
मेड़ता सिटी

श्रीमती आशा नामा
अध्यक्ष, नगर पालिका,
मालपुरा

श्री ओमप्रकाश कालवा,
अध्यक्ष, नगर पालिका,
सूरतगढ़

श्री अशोक कुमार डाटा
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
खैरथल

श्री हरिशचन्द्र माहेश्वरी
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
छबड़ा

श्री बहादुरचन्द जैन
पूर्व सभापति, नगर परिषद्,
हनुमानगढ़

श्री सचिन साँखला
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
विजयनगर

श्री रतन खत्री
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
बालोतरा

श्री अशोक चौधरी
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
संगरिया

श्री सुभाष गोदारा
पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका,
पीलीबंगा

श्रीमती मनिंदर कौर नन्दा
पूर्व सभापति, नगर परिषद्,
श्रीगंगानगर

अंदर

1. दूरगामी सोच -9
2. संस्था के भागीरथी प्रयास - 10
3. प्रशासन शहरों के संग अभियान- 11
4. जिलों में अभियान - 14

सम्पादकीय

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, तथा जिस कार्यक्रम तथा भावी रूपरेखा को लेकर चल रही है, आशा है सभी क्षेत्रों से संस्था को रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। संस्था सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत करती है।

संस्था को राज्य सरकार राजस्थान की नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं में कार्यरत आयुक्त अधिशासी अधिकारियों व कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला है, संस्था उन सब की आभारी है।

संस्था इस पत्रिका के माध्यम से शहरी विकास से संबंधित जानकारियों का आदान–प्रदान किया है। संस्था ही शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों का पक्ष प्रभावी रूप से सरकार के समक्ष रखने में सफल रही है।

शहरी जन–जीवन को आसान बनाने, शहरी क्षेत्रों के नये आयामों की जानकारी देने की किसी निकाय में हुए अच्छे कार्यों की जानकारी दूसरे निकाय तक पहुँचाने, राज्य शासन व स्थानीय शासन में समन्वय व संवाद कायम करने के साथ ही शासन की नीतियों व योजनाओं की जानकारी को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचाने में संस्था का यह प्रकाशन उपयोगी होगा।

इस पत्रिका के माध्यम से हम यह प्रयास करेंगे कि राजस्थान के बाहर भी नगरीय विकास संबंधी जानकारी पाठकों को मासिक रूप से उपलब्ध हों।

हम आशा और विश्वास करते है कि यह पत्रिका जनोपयोगी साबित होगी।

प्रदीप कुमार बोरड़ (से.नि. आई.ए.एस.)

अनुक्रमणिका

- आमुखीकरण – 18
- इन्दिरा रसोई – 19
- इन्दिरा शहरी क्रेडिट कार्ड– 24
- जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के निर्णय – 25
- सुशासन के तीन वर्ष –26
- विकासमान राजस्थान – 28
- जयपुरवासियों को विकास की सौगात – 35
- स्वायत्त शासन विभाग के ऐतिहासिक कार्य – 37
- अन्तर्राष्ट्रीय अवॉर्ड – 40
- चहुँमुखी विकास से निखरता शहर कोटा – 41
- ऑक्सीजन प्रबंधन – 44
- स्वच्छ भारत मिशन – 45
- परिपत्र – 47
- विज्ञापन – 55

- पत्रिका मासिक शुल्क – 200 रु.
- पत्रिका वार्षिक शुल्क – 2000 रु.
- प्रकाशन – प्रतिमाह
- पत्र पंजीयन संख्या– 7329/63
- राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, नेहरू गार्डन के पास, टोंक रोड़, जयपुर– 302015

फोन नं. – 0141–2710806

Email:localselfpatrika@gmail.com

प्रकाशक
राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, नेहरू गार्डन के पास, टोंक रोड़, जयपुर, फोन नं. 0141-2710806

मुद्रक
पायोराईट प्रिन्ट मीडिया प्रा. लि., उदयपुर

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री,

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था द्वारा मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में करवाए जा रहे चहुँमुखी विकास कार्यों, आमजन से जुड़ी समस्याओं के प्रयासों के साथ जन सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए नवाचारों को जनता के समक्ष रखा है। जो एक अच्छा प्रयास है।

आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है कि जनता की भावना एवं उनके सुझावों के अनुरूप विकास कार्य हो। राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के अनुरूप शहरी क्षेत्र में स्वायत्तशासी संस्थाओं ने विकास के नए आयाम स्थापित किए है।

सरकार की योजनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को जन–जन तक पहुंचाने में पत्र–पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है। जब पात्र लोगों तक इन योजनाओं की विश्वसनीय जानकारी पहुँचे।

आशा है यह पत्रिका राज्य के शहरी क्षेत्र में चल रही लोक कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने में उपयोगी होने के साथ–साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अन्य विभागों के लिए सन्दर्भ पुस्तिका साबित होगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

(अशोक गहलोत)

शांति धारीवाल

मंत्री

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी तथा संसदीय मामलात विभाग, राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, जयपुर द्वारा 27 वर्षों के अन्तराल के उपरान्त मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' का नियमित प्रकाशन पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

मासिक पत्रिका के माध्यम से प्रदेश की शहरी निकायों के विकास कार्यों की प्रगति तथा चुनौतियों का संकलन, कार्य–प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रदेश के शहरों के सर्वांगीण विकास में इसकी महती भूमिका रहेगी। इस प्रकार के प्रकाशन नगरीय निकायों एवं गतिविधियों के हित में नियमित रूप से जारी किये जावें। यह खुशी की बात है कि संस्था इस दिशा में अग्रसर है।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मासिक पत्रिका स्वायत्त शासन के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ–साथ आमजन के लिए भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मैं अपनी ओर से मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' के सफल प्रकाशन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

शांति धारीवाल

डॉ. जी.एस. संधू आई.ए.एस. (से.नि.)
सलाहकार नगरीय विकास,
आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था द्वारा मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान, जन–सुविधाओं के विस्तार, कच्ची बस्तियों के विकास तथा असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों के कल्याणार्थ कई योजनाएं शहरी क्षेत्र की स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से चला रही है।

''राजस्थान स्वायत्त शासन'' पत्रिका द्वारा शहरी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ इनसे लाभान्वित होने वाले नागरिकों के अनुभव नियमित रूप से प्रकाशित किये जाने से अन्य नागरिक एवं पात्र व्यक्ति अवश्य लाभान्वित होंगे।

मुझे विश्वास है कि इस मासिक पत्रिका में स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंधित जारी किए जाने वाले आदेश–निर्देश एवं परिपत्रों के प्रकाशन से यह एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोग रहेगी।

''राजस्थान स्वायत्त शासन'' पत्रिका प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जी.एस.संधू

डॉ. जोगाराम, आई.ए.एस.

शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
राज्य मिशन निदेशक, अमृत एवं स्मार्ट सिटीज

सत्यमेव जयते

शुभकामना संदेश

यह जानकर अति प्रसन्नता हुई की राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था द्वारा ''राजस्थान स्वायत्त शासन '' पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। संस्था राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं की एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में प्रमुखता से कार्यरत है, जिसमें विभाग की विभिन्न गतिविधियों व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के लिए शहरी विकास एवं शहरी जनता जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रकाशन किया जाएगा।

पत्रिका में सरकारी विभागों की योजनाओं एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों का विस्तारपूर्वक समावेश किये जाने से सरकार के विकास कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी आम जनता को आसानी से मिल सकेगी, इससे समग्र राजस्थान की जनता के सभी वर्गों के लोग सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे।

पत्रिका के प्रकाश के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामानाएं।

सादर!

डॉ. जोगाराम

श्री हृदेश कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान सरकार,जयपुर

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था द्वारा मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान, जन सुविधाओं के विस्तार, कच्ची बस्तियों के विकास तथा असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाएं शहरी क्षेत्र की स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से चला रही है।

पत्रिका में इन योजनाओं की जानकारी के साथ इनसे लाभान्वित होने वालों की सफलता की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित की जाएगी। जिससे अन्य नागरिक एवं पात्र व्यक्ति अवश्य लाभान्वित होंगे।

मुझे विश्वास है कि इस मासिक पत्रिका में स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंधित जारी किए जाने वाले आदेश–निर्देश एवं परिपत्रों के प्रकाशन से यह एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोगी रहेगी।

पत्रिका प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हृदेश कुमार

केवलचन्द गुलेच्छा

अध्यक्ष,

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, जयपुर

सत्यमेव जयते

मेरी बात

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व एवं सुशासन से प्रदेश ने विगत तीन वर्षों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी सहित अन्य चुनौतियों के बावजूद तरक्की एवं विकास में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्हें आगामी दो वर्षों में और अधिक गति प्रदान करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश के हर नागरिक के अटूट विश्वास के आधार पर राज्य उन्नति के पथ पर यूं ही निरन्तर आगे बढ़ता रहे। यह हम सभी की कामना है।

संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह वर्तमान सरकार ने आमजन के उत्थान कल्याण एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ विकास की नई इबारत लिखी है। जिससे देश में राजस्थान का मान–सम्मान बढ़ा है। सबको गुणवत्ता युक्त अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, सुलभ चिकित्सा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कई अभिनव पहल हुई है। किसानों के कल्याण, गरीबों के उत्थान और महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक पहल की गई है जो पहले कभी नहीं हुई।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है कि विकास के अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचे और उसका घर खुशियों से रोशन हो जाये। इसके लिए हम सभी को भी अपनी–अपनी भूमिका निभानी होगी। आज देश दुनिया और हमारे आसपास नई–नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हमें उन सबका पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ मुकाबला करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चुनाव पूर्व जन घोषणा पत्र में आमजन से जो वायदे किये थे उनमें से अधिकांश वायदे पूर्ण हो चुके हैं।

केवलचंद गुलेच्छा

प्रदीप कुमार बोरड़ आई.ए.एस. (से.नि.)
सचिव एवं निदेशक
राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, जयपुर

सत्यमेव जयते

एक अभिनव प्रयास

मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मासिक पत्रिका ''राजस्थान स्वायत्त शासन'' का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में करवाए जा रहे चहुंमुखी विकास कार्यों, आमजन से जुड़ी समस्याओं के प्रयासों के साथ जन सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए नवाचारों को जनता के समक्ष रखा है। जो एक अच्छा प्रयास है।

राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के अनुरूप शहरी क्षेत्र में स्वायत्तशासी संस्थाओं ने विकास के नए आयाम स्थापित किए है। सरकार की योजनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को जन–जन तक पहुंचाने में पत्र–पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।

आशा है यह पत्रिका राज्य के शहरी क्षेत्र में चल रही लोककल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने में उपयोगी होने के साथ–साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अन्य विभागों के लिए सन्दर्भ पुस्तिका साबित होगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।

प्रदीप कुमार बोरड़

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था दूरगामी सोच

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था प्रदेश के नगरीय निकायों का प्रतिनिधि संगठन है। संस्था का वर्तमान स्वरूप बीकानेर नगर पालिका के तात्कालीन अध्यक्ष एवं संस्था के संस्थापक वैद्य श्री गोविन्द नारायण जी के अथक प्रयासों एवं दूर दृष्टि का ही परिणाम है। नगरीय निकायों के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण कर संस्था की प्रगति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्षों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए संस्था उत्तरोत्तर विकास की राह पर अग्रसर है। विगत लगभग छः–दशकों से संस्था राजस्थान की नगरीय निकायों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इनकी समस्याओं के प्रभावी समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

संस्था द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के अध्यक्षों तथा कर्मचारियों अधिकारियों हेतु गोविन्द–भवन विश्राम गृह का भी संचालन करती है। वर्तमान में गोविन्द–भवन विश्राम गृह का जीर्णोद्वार कार्य प्रगति हैं। संस्था का उद्देश्य गोविन्द भवन विश्राम गृह को नगरीय निकायों के अध्यक्षों तथा कर्मचारियों, अधिकारियों हेतु सर्किट हाउस सुविधा के रूप में थ्री स्टार स्तर पर विकसित किए जाने का हैं। प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं। संस्था में विगत लगभग छः दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक (Sanitary Inspector) कोर्स संचालित किया जा रहा हैं। संस्था में राजस्थान प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत के कई राज्यों से स्वच्छता निरीक्षक के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त करते हैं। संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर हजारों विद्यार्थी राजस्थान ही नहीं अपितु देश के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वच्छता के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सेवाएं दे रहे हैं।

इसी प्रकार संस्था में विगत लगभग तीन दशकों से फायर एवं सुरक्षा कोर्स का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा हैं। वर्तमान सत्र से संस्था फायर एवं सुरक्षा कोर्स हेतु राजस्थान आई. एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर प्रदेश में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार के व्यापक आयाम प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर हैं। एक प्रकार से राजस्थान में स्वच्छता निरीक्षक तथा फायर एवं सुरक्षा क्षेत्र के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

इसके साथ ही संस्था द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय भी स्थापित कर विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी निभाई जा रही है। वर्तमान में महाविद्यालय में B.A, B.Sc.,B.Com., BCA तथा PGDCA कोर्स संचालित किए जा रहे है। आगामी सत्र से महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्राप्त कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी है। संक्षेप में कहा जाये तो संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निरन्तर रूप से प्रयासरत हैं।

संस्था के भागीरथी प्रयास

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना वर्ष 1964 में राजस्थान प्रदेश की शहरी निकायों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में की गई। बीकानेर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे वैद्य श्री गोविन्द नारायण शर्मा ने संस्था की स्थापना से वर्ष 1984 तक संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए संस्था को वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया। तदुपरान्त संस्था के अध्यक्ष के रूप में श्री दामोदर आचार्य ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

श्री दामोदर आचार्य द्वारा तात्कालीन राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दौरान संस्था के उपाध्यक्ष, तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी के पुत्र तथा नगरपालिका बांसवाड़ा के अध्यक्ष रहे श्री दिनेश जोशी ने संस्था में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस संस्था को राजस्थान की स्वायत्तशाषी संस्थाओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में पुनः स्थापित करने के लिये वर्तमान अध्यक्ष श्री केवलचन्द गुलेच्छा के साथ ही समस्त पदाधिकारीगण एवं संस्था के सदस्यगण प्रयासरत है।

HCM-RIPA की तर्ज पर प्रशिक्षण केन्द्र

जिस प्रकार HCM-RIPA राजस्थान सरकार, RICEM सहकारिता विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र है उसी तर्ज पर स्थानीय निकाय विभाग नवनियुक्त अधिशाषी अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संस्था को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में संचालित किया जा सकता है। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में पदोन्नति के बाद आमुखीकरण के लिये भी संस्था का उपयोग किया जा सकता है।

साथ ही नगरीय निकाय जन प्रतिनिधियों – पार्षद, अध्यक्ष, सभापति तथा महापौर हेतु आवश्यक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संस्था के माध्यम से आयोजित की जा सकती है।

राष्ट्र स्तरीय स्किल प्रशिक्षण केन्द्र

इसी प्रकार NULM योजना के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्रामों के साथ ही स्किल ट्रेनिंग भी संस्था के माध्यम से आयोजित की जा सकती है। एक प्रकार से स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संस्था को अपने विभागीय ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

अनुभव का लाभ

संस्था द्वारा नगरीय निकायों से सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक तथा फायरमैन प्रशिक्षण कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय के कर्मचारियों हेतु LSGD डिप्लोमा धारक कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि दी जाती थी।

विगत कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा उक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान समाप्त किये जाने के कारण उक्त डिप्लोमा कोर्स का संचालन नहीं किया जा रहा। उक्त वेतन वृद्धि का लाभ पुनः प्रारम्भ किये जाने पर यह कोर्स प्रारम्भ किया जा सकता है।

संस्था का चूँकि फायर प्रशिक्षण का लम्बा अनुभव है। राज्य सरकार फायर एकेडमी खोले जाने की दिशा में संस्था की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती है।

नीति निर्धारण में भागीदारी

संस्था के शहरी क्षेत्र में व्यापक अनुभव के आधार पर राज्य सरकार को शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित नीति निर्धारण के साथ ही किसी समस्या अथवा प्रोजेक्ट के अध्ययन में संस्था को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

संस्था के क्षमतावर्धन में सहयोग

संस्था को प्रदेश की नगरीय निकायों से अनुदान प्रेषित किये जाने के विभागीय आदेश जारी होने के बावजूद निकायों द्वारा नियमित रूप से अनुदान प्रेषित नहीं किया जा रहा हैं जिससे संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक रूप से संघर्ष करना पडता है। अतः प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा संस्था को नियमित रूप से अनुदान प्रेषित किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार नगर पालिका/नगर परिषद् में आयोजित होने वाली बैठकों में उस जिलें से संस्था के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। संस्था की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को राजकीय दरों पर सर्किट हाउस सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

राज्य वित्त आयोग की सहयोगी

राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय को वित्तीय सहायता के लिए अध्ययन करता है। प्रदेश की नगरीय निकाय का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य वित्त आयोग संस्था का उपयोग एक सहयोगी संस्था के रूप में कर सकता है।

आमजन को राहत देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है- प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021

गांधी जयन्ती पर प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत

अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राहत देने की भावना के साथ चले अभियान।

– मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे किसी भी निर्णय का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी भावना के साथ गांधी जी की जयंन्ती के शुभ अवसर पर 'प्रशासन गांवों के संग' एवं 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की शुरूआत हुई। इन अभियानों में लगने वाले शिविरों के माध्यम से अधिकारी प्रदेश के गरीब एवं वचिंत वर्गों को राहत प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पांच लाभान्वितों को पट्टे वितरित कर दोनों अभियानों का राज्य स्तर पर आगाज किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों को उनके आवासों के पट्टे देकर उन्हें राहत देने का निर्णय किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आमजन के सहयोग से ये अभियान सफल होंगें। श्री गहलोत ने गांधी दर्शन म्यूजियम का शिलान्यास एवं महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज का लोकार्पण भी किया। गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क बनेगा, जबकि कनक भवन में 1.07 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज में गांधीजी से जुड़े शोध कार्य होगें। महात्मा गांधीजी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए प्रशासन एवं सामाजिक कार्यो में अपनी भूमिका निभाने के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से मुम्बई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज तथा पुणे स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर इस इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी को दिल से अपनाने वाले उनकी शिक्षाओं और संदेशों को भी आत्मसात करें। गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें तो समाज में व्याप्त कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती को पूरा विश्व अंहिसा दिवस के रूप में मनाता है यह देशवासियों के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांवों के संग एवं शहरों के संग अभियान की मार्गदर्शिका, सर्वोदय विचार परीक्षा से संबधित ई–बुकलेट तथा भवन विनिमय कम्पेडियम का विमोचन भी किया। साथ ही, राजस्थान आवासन मण्डल के मोबाइल एप की लॉन्चिग एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी पंकज शर्मा को कार्ड वितरित किया।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि अभियान में लगने वाले शिविरों में आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए नियमों एवं

परिपत्रों का सरलीकरण किया गया है। शिविरों में लाभार्थियों को भू–उपयोग के अनुसार अलग–अलग रंग के पट्टे दिए जांएगे। आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार अभियान के दौरान टाउन प्लानर एवं अभियंताओं को नगर मित्र बनाया गया है, जो पट्टा लेने आए आवेदकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि के अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होंगी जिनके ले–आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एकमुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्री होल्ड पट्टा दिया जाएगा।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी,पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत–प्रतिशत छूट

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत–प्रतिशत छूट दी गई है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा

अभियान की मॉनिटरिंग प्रतिदिन जिला कलेक्टर स्वयं करें–**मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरीबों को आवासों के पट्टे देकर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों के आयोजन का मकसद जहां तक संभव हो मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण का है। श्री गहलोत ने बिना गारंटी 50 हजार रूपए तक के ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए शरू की गई 'इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' को राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया और कहा कि इसके तहत

आने वाले आवेदनों की स्वीकृति एवं निस्तारण की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स एवं लॉकडाउन के समय जिला कलेक्टर्स के माध्यम से किए गए अभावग्रस्त लोगों के सर्वे की सूची का उपयोग करने को कहा, ताकि जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य लाभार्थियों की पहचान की जा सके। उन्होंने बैंको से भी चर्चा कर इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृतियां पात्रतानुसार तय समय सीमा में पूरी करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिन शहरी क्षेत्रों में आबादी एक लाख से अधिक है वहां जोनल प्लान की अनिवार्यता के कारण पट्टा वितरण में कठिनाई आ रही है। जोनल प्लान बन जाने के बाद पट्टा वितरण के कार्य आसानी से हो सकेंगे।

नगरीय विकास एंव आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि अभियान से पहले तैयारियों के रूप में संभाग स्तर पर हुई बैठकों में दिशा–निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। इन बैठकों में नगरीय निकायों के जिन अधिकारियों ने भाग लिया था वे अपने अधिकारियों–कर्मचारियों को पट्टा वितरण की प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी दे, ताकि आवेदनों के निस्तारण की गति बढ़ाई जा सके।

जिलों में प्रशासन शहरों के संग अभियान

कोटा

प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने नगर निगम कोटा में एक शिविर में 16 सौ आवासीय पट्टे जारी करवाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। शिविर में वर्षों से आवसीय पट्टे से वंचित परिवारों को जैसे ही स्वायत्त शासन मंत्री ने पट्टे सौंपे उनके चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई।

स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा प्रदेश में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहे। जिसमें आवासीय पट्टे के साथ नाम हस्तारण, भवन निर्माण एवं अन्य योजनाओं का लाभ घर बैठे दिलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार धारा 69–ए को जोड़कर पट्टे जारी करने में आमजन को सुविधाओं का विस्तार किया है। इससे अब बैंक से ऋण लेने एवं अन्य कार्यों में परेशानी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनेक सुधारात्मक कदम उठाते हुए भवन का स्वामित्व हस्तानान्तरण, निर्माण स्वीकृति में मौका निरीक्षण की शर्त को हटा दिया है। जिससे आम नागरिकों को बार–बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले शासन में भी कोटा में हमने 40 हजार आवासीय पट्टे रियायती दरों पर जारी किये थे। जिससे आम नागरिकों को अपने मकान का हक मिलने के साथ बैंकों से ऋण लेने में सुविधा मिली थी। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर 2018 से पहले का स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज होने पर सरकार द्वारा शिवरों में रियायती दरों पर पट्टे दिये जा रहे है।

अलवर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किये गए प्रशासन शहरों के संग अभियान आम जनता के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह सौगात दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शिविरों में काम हो।

केबिनेट मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शिविर में खुदनपुरी निवासी श्रीमती माया देवी पत्नी भगवान सहाय सैनी को पहला पट्टा प्रदान किया। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समय–समय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों में स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।

बांसवाड़ा

राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह बामनिया ने नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा अम्बेड़कर भवन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा कंसारा समाज को कंसारवाड़ा सदर बाजार एवं अध्यक्ष पंच जड़ीया (श्रीमाल) समाज, बांसवाड़ा को लोहारावाड़ा स्थित भूमि का 69ए अन्तर्गत पट्टा वितरीत किया गया। इसके अतिरिक्त 69ए के अन्तर्गत फरोज मोहम्मद/गन्नी मोहम्मद, गौरख ईमली, चन्द्रकांता/जय शिव, नागरवाड़ा, कमलेश/भाणवजी, पैलेस रोड़, मंसुर बी/गुलाम मोहम्मद, कालिकामाता को भी पट्टे वितरीत किये गये।

जैसलमेर

अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एव जन अभियोग निराकरण मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर नगर परिषद कार्यालय परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा स्टेट ग्रान्ट के पट्टे, पथ विक्रेता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में जैसलमेर शहरवासियों से प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों का लाभ पाने के लिए पूरी जागरुकता के साथ आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि यह शिविर सरकार द्वारा गरीबों एवं जरूरतमन्दों की तकलीफों को दूर कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए प्रगति और खुशहाली देना है।

चूरू

ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलक्टर और सभापति के हाथों से पट्टा प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। प्रशासन शहरों के संग अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इन शिविरों के रूप में राज्य की जनता को एक सौगात दी है और लोगों के काम हाथों–हाथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पांच लाख से अधिक पट्टे दिए जाने का लक्ष्य है और खुशी की बात है कि इस दिशा में बेहतर शुरुआत के साथ काम शुरू हो गया है। उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार करें और लोगों को प्रोत्साहित कर उनके काम करवाएं ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को इन शिविरों का लाभ मिल सकें।

जोधपुर

उप–मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब, शोषित और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। शिविरों के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रयास करें।

अजमेर

जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। तथा उन्होंने कहा की प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत सरकार कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने के लिए कटिबद्ध है। जल संसाधन मंत्री ने महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश प्रदान किए थे। उनके निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घंटें में कच्ची बस्तियाँ के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई।

उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अधिसूचित 48 कच्ची बस्तियां है। इनमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत पट्टों का वितरण किए जाने के लिए कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

बीकानेर

शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बीकानेर नगर निगम में प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया तथा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का ध्येय है कि सभी नगरीय निकायों के माध्यम से आमजन को पट्टे मिलें। इसके मद्देनजर प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दौरान स्टेट ग्रांट के पट्टे, कच्ची बस्तियों के नियमन संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। डॉ. बी.डी. कल्ला ने अभियान के तहत जारी पट्टे लाभार्थियों को वितरित किए।

जयपुर

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र में चल रहे शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार ने अभियान के दौरान 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य तय किया हुआ है। इसके लिए सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए कई प्रकार की छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर के डिगाड़ी कला में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का आवलोकन किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम दक्षिण के वार्ड नम्बर 79 व 80 के डिगाड़ी कला विद्यालय में आयोजित शिविर का अवलोकन किया।

प्रदेश में पब्लिक को लाभ देने के लिए शिविरों का आयोजन :–

मुख्यमंत्री ने शिविर अवलोकन के पश्चात् कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की पब्लिक को लाभ देने के लिए प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान के तहत शिविरों का आयोजन कर रहे है। शिविर शानदार चल रहे है। 22 विभाग साथ बैठकर काम कर रहे है, शिविर कामयाब रहेंगे। लोगों को बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों में अच्छा काम करने वालों को अवॉर्ड मिले व लापरवाही बरतने वालों को सजा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिविरों का अवलोकन करने सभी जिलों में जाऐंगे।

मुख्यमंत्री के हाथों इन्हे मिले पट्टे :–

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम उत्तर के ज्ञानसिंह, जेडीए जोन पूर्व के चन्दन गिरी, श्रीमती चुंकी देवी, मदन लाल डारा व पृथ्वीराज को पट्टे प्रदान किए।

डिगाड़ी राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन पत्र प्रदानः–

मुख्यमंत्री ने नगर निगम दक्षिण द्वारा डिगाड़ी कला के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय के लिए 4893.37 वर्ग मीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन का पत्र सी एम एच ओ डॉ. बलवंत मंडा, पार्षद आइदानराम सारण व पार्षद राजेन्द्र चौधरी को प्रदान किए।

जो भी मांगे रखेंगे पूरी करूंगा :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, जो भी मांगे रखेंगे उसे पूरी करूंगा। 40 वर्ष पहले ही आप लोगों ने मुझे अपना लिया, इसका मुझे अहसास है। अब बाहर वापिस निकलाना शुरू किया है।

जूनियर मिलेट्री स्कूल को क्रमोन्नत करने की घोषणा की :–

मुख्यमंत्री ने डिगाड़ी की जूनियर मिलेट्री स्कूल को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी सीनियर माध्यमिक विद्यालय में पांच सौ छात्राएं होगी वहां गर्ल्स कॉलेज खोल दिया जाएगा।

पांच हजार की आबादी में खुलेगी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई स्थानों पर अंग्रजी माध्यमिक विद्यालय खोले है ताकि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि अब तय किया है कि पांच हजार की आबादी वाले गांव में अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोले जाएंगे।

काम में कोई कमी नहीं रख रहे है :–

मुख्यमंत्री न कहा कि प्रदेश में काम में कोई कमी नहीं रख रहे है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जनहित की योजनाओं से लोगों को राहत दे रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है। देश में इसकी सराहना हो रही है। लोगों का पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा मिली है व इसका फायदा मिल भी रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रदेश में बेहतर प्रबंधन की देशभर में प्रशंसा हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की । उन्होंने कहा कि कोरोना के बेहतर प्रबंधन से किसी को भूखा नहीं सोने दिया, ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया।

कोरोना में भी लगातार जुड़ाव रखा :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय बाहर नहीं जा सका लेकिन लगातार जुड़ाव रखा। 450 से अधिक बैठके वी सी के माध्यम से ली व मॉनिटरिंग रखी गई।

रीट की परीक्षा में फ्री बसों की व्यवस्था की :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि रीट की परीक्षा में 25 लाख युवा बैठे। सभी के लिए सरकारी बसों को फ्री की व निजी बसों में भी परिवहन की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि समाजसेवी लोगों ने जगह–जगह उनके लिए भोजन व रहने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी संस्कृति है।

किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले फरवरी–मार्च में किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे। किसानों के लिए प्राथमिकता क्या हो इसके लिए बजट लाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग बिजली कम्पनी भी बनाना चाहते है।

जमाने के साथ बदलना होगा :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमाना बदल रहा है, अब जमाने के साथ बदलना होगा, उन्होंने कहा कि परिवार को आगे बढ़ाना है तो खाली खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बच्चे पढ़ लिख कर व्यापार करें, उद्योगपति बने, आई टी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी प्राप्त करें।

राजीव गांधी लिफ्ट नहर तीसरे फेज के लिए 1450 करोड़ मंजूर :–

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे फेज के लिए राज्य सरकार ने अपने खजाने से 1 हजार 450 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से लिफ्ट नहर का तीसरा फेज का कार्य होगा व गांवों में पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए फ्रांस से ऋण लेना चाहते थे लेकिन उस कार्य में देरी हो रही थी इससे सरकार ने राशि स्वीकृत की।

आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का SM&ID (Social Mobilization And Institutional Development) घटक के तहत गठित एरिया लेवल फैडरेशन के पदाधिकारियों संभाग स्तरीय दो दिवसीय आवासीय आमुखीकरण कार्यशालाओं का गुणवत्तापूर्वक सफल आयोजन किया गया। कार्यशालाओं का शुभारम्भ जोधपुर सम्भाग के पाली मुख्यालय पर आयोजित हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के अध्यक्ष श्री केवल चन्द गुलेच्छा ने किया। विशिष्ठ अतिथि प्रशासन शहरों के संग अभियान के जोधपुर संभाग के पर्यवेक्षक श्याम सिंह राजपुरोहित रहे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष केवल चन्द गुलेच्छा ने राज्य सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा गाँधी क्रेडिट कार्ड योजना एवं कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की मंशानुरूप स्वायत्त शासन संस्था के माध्यम से युवक–युवतियों को प्रशिक्षित करते हुए रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

सचिव श्री प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि यह आमुखीकरण कार्यशाला महिलाओं को सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा सरकारी सहयोग का अधिकाधिक उपयोग रोजगार सृजन करने की दिशा में यह कार्यशाला उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर पाली जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त, जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी मौजूद रहे। आमुखीकरण कार्यशाला सभी संभाग की पूर्ण हो चुकी है। इसमें 1819 प्रतिभागियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आत्मसम्मान व स्वाभिमान का प्रतीक इन्दिरा रसोई

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अगुवाई में गरीब एवं जरूरतमंदों की आवश्यकता को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानकर जो सफलता पाई है, वह निःसंदेह राजस्थान की देश में एक विकसित तस्वीर सामने ला रही है।

कोरोना महामारी के दौरान आमजन को चिकित्सा के साथ विभिन्न तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ा, उसमें से एक समस्या गरीब एवं जरूरतमंदों के पास अन्न की अनुपलब्धता भी थी।

श्री अशोक गहलोत ने आमजन की इस समस्या को तुरन्त समझते हुए 20 अगस्त, 2020 में ''कोई भूखा ना सोये'' की संकल्पना को मूर्त रूप देते हुए इन्दिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार की यह योजना कोरोना संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई है।

इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें मात्र 8 रूपये में गरीब एवं जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है।

राज्य सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य करते हुए लॉकडाउन की अवधि में योजना के तहत निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई तथा 71 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया।

राज्य में अस्पतालों, आईसोलेशन सेन्टर्स, कोविड केयर सेन्टर्स में उपचाराधीन कोरोना संक्रमितों को इन्दिरा रसोईयों से निःशुल्क भोजन प्राप्त हुआ। साथ ही रीट के अभ्यार्थियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई।

इन्दिरा रसोईयों का स्वरूप :–

प्रदेश में 358 स्थाई, सुविधायुक्त रसोईयों की स्थापना

- जरूरतमन्दों को इन्दिरा रसोईयों में बैठाकर सम्मानपूर्वक दो समय (दोपहर व रात्रिकालीन) शुद्ध व पौष्टिक भोजन परोसा जाता है।
- जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इन्दिरा रसोई योजना) द्वारा इन्दिरा रसोईयों की स्थापना रेल्वे एवं बस स्टेशन, अस्पताल, मण्डी, चौकड़ी, कच्ची बस्ती आदि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर स्थापना की गई है।
- योजना राजकीय भवन, आश्रय स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन एवं एनजीओ के रिक्त भवन में संचालित की जा रही है।
- सरकार द्वारा रसोई की आधारभूत संरचना (कैटरिंग सामान एवं फर्नीचर,) के विकास हेतु 5 लाख रूपये प्रति रसोई एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई गई है।

- रसोई संचालन (बिजली, पानी, इन्टरनेट, कम्प्यूटर ऑपरेटर मानदेय) खर्च हेतु 3 लाख रूपये प्रति रसोई प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है।
- इन्दिरा रसोईयों में दोपहर के भोजन का समय प्रातः 8:30 से 02:00 बजे तथा रात्रिकालीन भोजन का समय सांय 05:00 से 08:00 तक रहता है।
- रसोई संचालकों को राजकीय अनुदान राशि 12 रूपये प्रति थाली देय था, जिसे बढती महंगाई के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से बढाकर 17 रूपये प्रति थाली कर दी गई है। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ का अतिरिक्त वित्तिय भार पड़ेगा।
- योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 125 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- निगम क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति रसोई 300 थाली लंच एवं 300 थाली डीनर दिये जाने का प्रावधान है। वहीं नगरपरिषद्/नगरपालिका क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति रसोई 150 थाली लंच एवं 150 थाली डीनर दिये जाने का प्रावधान है।

जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित

- इन्दिरा रसोई योजना की सफलता का सबसे बड़ी विशेषता योजना के संचालन में जनसहभागिता का होना है। योजना की विशेषता है कि इसमें बड़ी संख्या में स्वंय सेवी संस्था तथा स्थानीय सेवाभावी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।

  योजना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से चयनित 300 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्था/एनजीओ के माध्यम से रसोईयों का संचालन "ना लाभ ना हानि" पर किया जा रहा है।
- जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन प्रायोजित करने की सुविधाः–इन्दिरा रसोई योजनान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा जरूरतमन्दों को भोजन प्रायोजित करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिस दिन भोजन प्रायोजित होता है उस दिन लाभार्थी से 8 रू. की राशि ना ली जाकर निःशुल्क भोजन परोसा जाता है।

  भोजन स्पॉन्सरकर्ता को मुख्यमंत्री की ओर से अभिनन्दन–पत्र तथा सरकार की ओर से प्रमाण–पत्र भी दिया जाता है।

हाइटेक इन्दिरा रसोई योजना

मुख्यमंत्री का सदैव यह प्रयास रहता है कि जनहित में जारी हुई प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे ताकि जनमानस को योजना का पूर्णलाभ मिल सके।

- लाभार्थियों की प्रविष्टी की पारदर्शी प्रक्रिया:–इन्दिरा रसोई योजना में लाभार्थियों की रियल टाइम ऑनलाइन प्रविष्टी होती है। इन्दिरा रसोई के आगमन पर लाभार्थी का ऑनलाईन पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, मोबाइल नम्बर का संकलन कर अंकित किया जाता है तथा लाभार्थी के मोबाईल पर उसके रसोई में पधारने व धन्यवाद तथा टोल फ्री नम्बर का मैसेज भेजा जाता है। इन्ही प्रविष्टियों के आधार पर पोर्टल के ऑनलाईन डाटा से रसोई संचालक को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।
- पेपरलैस भुगतान व्यवस्था :– रसोई संचालकों को राजकीय अनुदान के भुगतान करने हेतु यह पहली बार व्यवस्था की गई है कि रसोई संचालक को कोई भौतिक रूप से भौतिक बिल प्रस्तुत नहीं करना पड़े इस हेतु इन्वॉइस की आधार ऑथेटिफिकेशन की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है इससे रसोई संचालक का बिल इन्वॉइस तैयार होकर सीधा उसके खाते में ऑनलाईन भुगतान हो जाता है, इससे भुगतान व्यवस्था सरल एवं पारदर्शी हो गई है।
- रसोई संचालकों को समय पर भुगतान हेतु पैनल्टी का प्रावधान :– रसोई संचालकों को राजकीय अनुदान राशि का नियमित भुगतान सम्बन्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा 07 दिवस में भुगतान नहीं करने पर भुगतान हेतु किये गये देरी की अवधि पर सम्बन्धित अधिकारी पर 12 प्रतिशत वार्षिक पेनल्टी का प्रावधान है। इस प्रकार की पेनल्टी की राशि का भुगतान सम्बन्धित रसोई संचालकों को क्षतिपूर्ति के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अब तक जरूरतमंदो को 4.90 करोड़ थाली परोसी गई :–

योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ भोजन की थाली परोसने का लक्ष्य है, इसी के तहत राज्य सरकार गरीब एवं जरूरतमंदों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अथक प्रयास कर रही है एवं इस प्रयास का ही परिणाम है कि अब तक इस योजना के तहत् 4 करोड़ 90 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है–

- **लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क भोजन।**
- **रीट के अभ्यार्थियों को निःशुल्क भोजन।**

इन्दिरा रसोई योजना में नवाचार –

योजना को सफल बनाने के लिए योजना में निरन्तर नवाचार किये जा रहे हैं–

- **राज्य स्तरीय कॉलसेन्टर से लाभार्थियों से निरन्तर फीडबैक :–** किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि उसकी लगातार मॉनिटरिंग तथा फीडबैक लिया जाए।नगरीय विकास विभाग ने इस जरूरत को समझते हुए इस योजना की राज्य स्तरीय कॉलसेन्टर से फीडबैक की व्यवस्था की है। योजना में समय–समय पर अधिकारी ऑनस्पॉट औचक निरीक्षण भी करते रहते हैं। निदेशालय स्तर पर स्थापित **कॉल सेन्टर पर टोल फ्री नं. 1800 180 6127 पर कोई लाभार्थी योजना से सम्बन्धित कमियां/सुझाव दे सकता है।**
- **उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोई संस्थाओं को प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक नगद पुरुस्कार व प्रशस्तिपत्र :–** इन्दिरा रसोई योजना की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले रसोई संचालकों को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तीन रसोईयों, संभाग स्तर पर तीन रसोईयों तथा जिला स्तर पर एक रसोई को वर्ष में दो बार सम्मानित किया जाता है। **राज्य स्तर** पर प्रथम पुरस्कार 21 हजार, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार, तृतीय पुरस्कार 11 हजार, **संभाग स्तर** प्रथम पुरस्कार पर 15 हजार, द्वितीय पुरस्कार पर 11 हजार, तृतीय पुरस्कार 5000 हजार तथा **जिला स्तर** पर 11 हजार रूपये सम्मान की राशि रसोई संचालकों को दी जाती है।
- **रसोई संचालकों को रोजमर्रा के कार्य के लिए अग्रिम राशि दिये जाने का प्रावधान :–** योजनान्तर्गत प्रत्येक रसोई में आवृति मद हेतु 3.00 लाख रूपये प्रति वर्ष प्रति रसोई व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत रोजमर्रा के कार्य यथा बिजली, पानी, इन्टरनेट बिल, रसोई के मरम्मत आदि पर होने वाले कार्य किये जाते हैं।

योजना के सम्बन्ध में लाभार्थियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया–

योजना में जरूरतमंदो को मान–सम्मान पूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार स्वच्छ माहौल में भोजन परोसने के कारण इन्दिरा रसोई के प्रति आमजन में काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं–

योजना के तहत भोजन प्राप्त करने वाला रामदयाल कहते हैं कि'' कोरोना के कारण हम गरीबों को दो टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, गहलोत साहब को बहुत–बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम गरीबों की सुनी तथा हमें निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया। इसी तरह इन्दिरा रसोई में प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने वाली कृष्णा भी कहती हैं कि'' कोरोना काल में हमारा पूरा काम चौपट हो गया था, राज्य सरकार का बहुत–बहुत शुक्रिया कि इन्दिरा रसोई के माध्यम से मेरे पूरे परिवार को भोजन उपलब्ध हो रहा है।'' साथ ही रीट के अभ्यार्थी यथा सुमन कुमारी, राधा, हरीशंकर एवं भगवती लाल आदि द्वारा परीक्षा के दिन बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाकर राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है।

जरूरतमंद को संबलः इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना के उदेश्य, कार्यक्षेत्र, योजना की समय सीमा, क्रियान्वयन प्राधिकारी, लाभार्थियो के चयन सम्बन्धी मापदण्ड एवं लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश जारी किये है, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

5 लाख लाभार्थियों को फायदा

इस योजना का लक्ष्य स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला , कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री , दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो– क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

कार्यक्षेत्र तथा समय सीमा

यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाऐंगे। ऋण के मोडिटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी।

वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगें स्वीकृत

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अर्न्तगत केवल वेब पोर्टल अथवा एंड्रॉइड एप के माध्यम से ऋण संबंधित आवेदन स्वीकार किये जाऐंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई – मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है। योजना में आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान में वर्तमान निवास सबंधित दस्तावेज, राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज तथा बैंक अकाउन्ट की पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेज रहेंगे।

ऋण दस्तावेजों पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी में छूट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।

कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लक्ष्य गली–मौहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्सा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो–क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रूपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।

नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय

अलाभकारी संस्थाओं को अब विकास शुल्क एवं बीएसयूपी शेल्टर फंड राशि से भी छूट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना–2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क एवं बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर) शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य के लिए अनुकूल वातवरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना–2021 लागू की है। इस योजना के तहत बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावृत्ति तथा नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएं, रियायत एवं छूट प्रदान की जा रही हैं।

इसके तहत इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत प्रतिशत छूट देय है। साथ ही उनके द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। अब इन छूट के साथ–साथ विकास शुल्क एवं बीएसयूपी(बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर) शेल्टर फंड से भी मुक्त रखने की मजूंरी प्रदान कर दी गई है। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में इन संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि–चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बालगृह आदि के विकास को गति दी जा सके।

मुख्यमंत्री ने पहले कार्यकाल में भी की थी निःशुल्क भूमि आवंटन की पहल

गौरतलब है कि श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी नशामुक्ति केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, सार्वजनिक प्याऊ, शौचालयों आदि के निर्माण एवं रख–रखाव, मूकबधिर तथा दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, पेंशनर्स के लिए विश्राम गृह, रैनबसेरे, प्रेस क्लब, पुस्तकालय एवं वाचनालय के निर्माण के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं को एक हजार वर्ग गज तक निःशुल्क भूमि आवंटन की महत्वपूर्ण पहल की थी।

सुशासन के सफल तीन वर्ष : आपका विश्वास-हमारा प्रयास

साकार हुआ सुशासन का मूलमंत्र प्रदेशवासियों को मिली 13 हजार 195 करोड़ रूपए के 2512 विकास कार्यों की सौगात –

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेशवासियों को करीब 13 हजार 195 करोड़ रूपए के 2512 विकास कार्यों की सौगात दी। आमजन के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्होंनें 9 विभागों के करीब 9405 करोड़ रूपए की लागत के 2408 कार्यों का शिलान्यास किया और करीब 3790 करोड़ की लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण किया।

पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाएं पूरी –

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में सुशासन के मूलमंत्र को सफलतापूर्वक साकार किया है। जन–घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देकर उसमें किए 70 प्रतिशत वादों को अब तक पूरा किया गया है। कोविड महामारी, राजस्व में बड़ी गिरावट, आर्थिक चुनौतियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाओं को क्रियान्वित करना हमारी सरकार की शानदार उपलब्धि को दर्शाता है।

सेवा ही कर्म–सेवा ही धर्म को संकल्प मानकर पहुंचाई हर वर्ग को राहत –

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ही कर्म–सेवा ही धर्म का संकल्प मानकर हमारी सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, महिला सहित सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें तत्परता के साथ लागू भी किया। इन फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से बढ़ा है और हर वर्ग को राहत मिली है। आने वाला समय विकास की दृष्टि से और बेहतरीन होगा।

तीन लाख किसानों का बिल हुआ जीरो –

'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' लागू की जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष तक का अनुदान मिल रहा हैं इस योजना से करीब 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य हो गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ी पहल इंग्लिश मीडियम स्कूल –

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से काम करते हुए राजस्थान आवासन मंडल को पुनर्जीवित किया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की। साथ ही, करीब 123 नए महाविद्यालय खोले, जिनमें 33 महिला कॉलेज शामिल हैं। साथ ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 या इससे अधिक बालिकाएं होने पर कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और कुशल नेतृत्व में राजस्थान सीमित संसाधनों के

बावजूद विकास के नए आयाम छू रहा है। इन तीन सालों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा।

गौरवशाली इतिहास का प्रतीक राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का शुभारम्भ –

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम कार्य का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ समारोह में श्री गहलोत ने कहा कि रियासत काल से आधुनिक राजस्थान बनने तक का हमारे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस म्यूजियम से प्रदेश की वैभवशाली विरासत, महान स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरूषों एवं नीति निर्माताओं के त्याग, बलिदान और योगदान की जानकारी नई पीढ़ी को मिल सकेगी।

श्री गहलोत ने कहा कि मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के साथ ही राजस्थान के विकास क्रम में राज्य विधानसभा के योगदान को हम गर्व के साथ याद करते हैं। इनकी जानकारी नई पीढी तक पहुंचाना जरूरी है। म्यूजियम के माध्यम से शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं आमजन को इन घटनाओं और क्रांतिकारी फैसलों को जानने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने का सपना देखा था। सूचना क्रांति के माध्यम से उनका सपना साकार हुआ है। यह म्यूजियम भी इसी दिशा में एक अनूठी एवं अच्छी पहल है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि म्यूजियम के जरिए राजस्थान के निर्माण, विकास के आयामों और सामाजिक बदलाव के साथ बने कानूनों से नई पीढ़ी रू–ब–रू हो सकेगी। साथ ही इससे लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र और मजबूत होगा।

संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने बताया कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 13 करोड़ 47 लाख रूपए की लागत से इस डिजिटल म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है। यह एक साल में बनकर तैयार होगा। उन्होंने बताया कि यहां थ्रीडी प्रभाव के साथ राजस्थान के विकास की पूरी झांकी देख सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष के बजट में राज्य विधानसभा में आधुनिक डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। करीब 21 हजार स्क्वायर फीट में बनने वाला यह म्यूजियम विधानसभा के प्रथम एवं द्वितीय तल में प्रदर्शित होगा। इस म्यूजियम में थ्री डी प्रोजेक्शन मैपिंग, एनिमेटेड डायोरमा, इंटरेक्टिव कियोस्क, होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टॉक बैक स्टूडियो, फिल्म्स ऑन स्क्रीन, स्कल्पचर्स एण्ड म्यूरल्स, मैकेनाइज्ड इंस्टालेशन, डायनमिक इंस्टालेशन तथा वॉल मार्ट एवं इलस्ट्रेशन जैसी नवीनतम तकनीक के माध्यम से राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान तथा प्रदेश के राजनीतिक आख्यान को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इसमें लोकतंत्र, विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं प्रशासन प्रणाली की जानकारी मिल सकेगी।

सुशासन से विकासमान राजस्थान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के तीसरी बार राज्य की कमान संभालने के बाद विगत करीब तीन वर्षों के सुशासन का ही परिणाम है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एवं उससे उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में विकास का लक्ष्य गौण नहीं बल्कि प्रथम प्राथमिकता पर केन्द्रित रहा है। प्रदेश के हर वर्ग चाहे किसान हो या युवा, महिला हो या उद्यमी, छात्र हो या सैनिक समाज के विकास से वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किए गए राज्य सरकार के प्रयास काबिल–ए–तारीफ है।

कोरोना महामारी से मुकाबला करते हुए विकास को गति प्रदान करने एवं प्रदेशवासियों के कल्याण, उत्थान एवं हित में अपने आप को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विकास पुरूष के रूप में प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अपने कौशल के आधार पर विकास का परचम फहराया है। वो अनुकरणीय है।

आमजन को गुड गवर्नेंस के माध्यम से सर्विस डिलीवरी मिले, इनके दुःख–दर्द और तकलीफ कम हो, समस्याओं पर त्वरित निस्तारण हो इसके लिए मुख्यमंत्री श्री गहलोत जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में कोई कसर बाकि नहीं रख रहे है।

''कोई भूखा ना सोये'' की संकल्पना को साकार रूप देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार के सभी नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोईयों के माध्यम से 20 अगस्त 2020 को ''इन्दिरा रसोई योजना'' का शुभारम्भ किया। इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत आमजन को 8 रूपये प्रति थाली में दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायो में 358 रसोईयां संचालित है। अब तक 4.05 करोड व्यक्ति इससे लाभान्वित हो चुके है। कोरोना महामारी के दौरान इंदिरा रसोईयों के माध्यम से 71 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन पैकिट वितरित किये गये है।

''नो मास्क नो एन्ट्री''

कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राज्य के नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2020 से जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया जिसके अन्तर्गत 218.92 लाख निःशुल्क मास्क आमजन को वितरित किये गये तथा कोरोना महामारी से बचाव में भागीदारी निभाने के लिए जागरूकता अभियान में 121.45 घरों पर स्टीकर लगाये गये।

राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 में संशोधन करते हुये राज्य के पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को रिहायशी कॉलोनी में भूखण्ड आवंटन करने हेतु आरक्षण का प्रावधान करने के लिये बजट में अधिसूचना जारी की गई।

अस्थायी रूप से रह रहे गाडिया लौहारो को 50 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार निकाय स्तर पर प्रदान किये गये। घुंमतुओं को 81 तथा गाडिया लौहारो को 642 पट्टे जारी किये गये।

विधानसभा भवन में एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि राजस्थान के निर्माण मे भागीदार रहे महापुरूषों के योगदान सहित प्रदेष के राजनैतिक आख्यान को भी प्रदर्षित करेगा। इस म्यूजियम में आगन्तुक आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोकतंत्र की यात्रा, विधानसभा की कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक प्रणाली की अनुभूति कराई जायेगी। करीब 21,000 वर्ग फीट में बनने वाला यह म्यूजियम राजस्थान विधानसभा के प्रथम व द्वितीय तल में प्रदर्शित होगा।

नगरीय निकायो में जनप्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को समाप्त करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 के खण्ड एफ को विलोपित किया जा चुका है। अधिसूचना 22 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने की दृष्टि से सभी नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या का पुनः निर्धारण विभागीय अधिसूचना दिनांक 10 जून 2019 द्वारा किया गया है। जिससे समस्त नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 3 बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि बढ़ते कार्यभार एवं हैरिटेज महत्व को देखते हुये विभागीय अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 2–2 नगर निगम नवगठित किये गये हैं।

दिनांक 28 फरवरी 2018 द्वारा राज्य के समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की गई नीति की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों हेतु 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान किये गये है।

राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि हेतु नगरीय निकायों के भूखण्डो की नीलामी प्रक्रिया के सरलीकरण एवं नीलामी में अधिक जनसहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाकर दिनांक 30 अक्टूबर 2019 से लागू किया जा चुका है। उक्त संशोधन नियम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों स्वतंत्रता सेनानियों, विधवाओं सैन्य पदक विजेताओं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों, कला एवं साहित्य में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों आदि को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के संबंध में भी प्रावधान किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालन के लिये नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तकनीकी एवं सामान्य मापदण्डो का अध्ययन कर रूफटॉप बॉयलॉज बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. बॉयलॉज की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा नगरीय निकायों में मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। जो नगर पालिका हेतु पूर्व में 04 के स्थान पर 06, परिषद में 05 के स्थान पर 08, निगम में 06 के स्थान पर 12 की गई है, जिसमें प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु एक दिव्यांग को मनोनीत किये जाने का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्धारित अर्हता में पूर्व प्रसव से जन्मी दिव्यांग सन्तान को 02 बच्चों की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

राजस्थान विधिया (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा नगरीय निकायों द्वारा जारी किये गये पट्टों में पट्टाधारक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टे को निकाय द्वारा निरस्त किये जाने सम्बन्धी शक्तिया प्रदान की गई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान नगरीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु चूंगी पुनर्भरण अनुदान राशि रूपये 2084.00 करोड़ का आवंटन किया गया तथा आधारभूत एवं ढांचागत विकास कार्यों व अन्य कार्यों हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत बेसिक अनुदान राशि रूपये 1664.38 करोड़ व कार्य निष्पादन अनुदान राशि रूपये 5623 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि रूपये 929.50

करोड़ का आवंटन नगरीय निकायों को किया गया।

स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत कार्यों की वर्तमान स्थिति

स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत वर्तमान में कुल 370 परियोजनाओं (रू. 3811 करोड़) में से 161 कार्य (रू. 718 करोड़) पूर्ण व 168 कार्य (रू. 2660 करोड़) प्रगतिरत एवं 24 कार्य राशि रू. 262 करोड़ के शीघ्र प्रारम्भ किये जायेंगे। दिसम्बर 2018 पश्चात् राशि रू 1466 करोड़ का व्यय कर 138 कार्य (रूपये 661 करोड़) पूर्ण व 258 कार्य (रूपये 1906 करोड़) प्रगति पर है।

उदयपुर मिशन अन्तर्गत उदयपुर शहर में राशि रूपये 995 करोड़ के 105 कार्य किये जा रहे हैं, दिसम्बर 2018 पश्चात् राशि रू 613 करोड़ का व्यय कर 56 कार्य (रूपये 215 करोड़) पूर्ण व 71 कार्यों (रूपये 243 करोड़) के कार्य प्रगति पर हैं।

जयपुर मिशन अन्तर्गत जयपुर शहर में राशि रूपये 943 करोड़ के 104 कार्य प्रगति पर हैं, दिसम्बर 2018 पश्चात् राशि रू 259 करोड़ का व्यय कर 21 कार्य (रूपये 124 करोड़) पूर्ण व 64 कार्यों (रूपये 338 करोड़) के कार्य प्रगति पर है।

कोटा – स्मार्ट सिटी परियोजना में 75 परियोजना/कार्य राशि 1153.83 करोड़ रू. के स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 32 कार्य राशि 424.24 करोड़ पूर्ण है। 28 कार्य राशि 582.53 करोड़ प्रगति पर है तथा 10 कार्य राशि 121.06 करोड़ निविदा प्रक्रियाधीन है एवं 5 कार्य राशि 26 करोड़ की डी.पी आर. तैयार करने के स्तर पर है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कुल 374.36 करोड़ रू. के 32 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत रू. 526.47 करोड़ के 28 कार्य प्रगतिरत हैं।

अजमेर– मिशन अन्तर्गत अजमेर शहर में राशि रूपये 936 करोड़ के 100 कार्य किये जा रहे हैं, दिसम्बर 2018 पश्चात् राशि रु 283 करोड़ का व्यय कर 36 कार्य (रूपये 64 करोड़) पूर्ण व 88 कार्य (रूपये 577 करोड़) प्रगति पर है

अमृत परियोजना –

आधुनिक एसबीआर तकनीक पर आधारित विकेन्द्रीकृत स्वचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम मानदंड के अनुसार शोधन तथा बिजली की बचत हेतु सौर ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग, परियोजना में समाहित किये गये है।

घरेलू सीवर कनेक्शन परियोजना में सम्मिलित तथा 10 वर्ष का संचालन एवं संधारण निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा संपादित किया जावेगा। परिशोधित अपशिष्ट जल

का कृषि वानिकीकरण उद्योग एवं अन्य उपयोग हेतु उच्च जलाशयों का निर्माण।

उद्यानिकी कार्यों में 85 प्रतिशत राशि का हरित क्षेत्र विकास एवं बच्चों के खेल उपकरण में उपयोग।

पार्कों के संरक्षण और सवंर्धन की योजना में आदिनांक 24 शहरों में लगभग 42 करोड़ के 92 पार्कों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य अमृत योजनान्तर्गत पूर्ण हो चुका है।

अमृत परियोजना की वर्तमान स्थिति –

अमृत योजनान्तर्गत 29 शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज व ग्रीन स्पेस घटक राशि रूपये लगभग 2450 करोड़ का व्यय कर प्रोजेक्ट कार्य को गति दी गई।

जलापूर्ति कार्यों के अन्तर्गत लगभग राशि रूपये 781 करोड़ व्यय कर 2676 कि. मी. पेयजल लाइन 32 सीडबल्यूआर 72 इएसआर का निर्माण कराया गया व लगभग 2 लाख 39 हजार पेयजल कनेक्शन जारी किये गये।

ड्रेनेज कार्यों के अन्तर्गत लगभग राशि रूपये 40 करोड़ व्यय कर 5 शहरों में लगभग 20 किमी. बरसाती नालो का निर्माण किया गया।

ग्रीन स्पेस कार्यों के अन्तर्गत लगभग राशि रूपये 46 करोड़ व्यय कर 92 पार्को का विकास किया गया व 14 प्रगतिरत पार्को में 75 प्रतिशत कार्य किया गया।

आरओबी आरयूबी प्रोजेक्ट–

अजमेर, नाका मदार, श्रीनगर रोड पर स्थित समपार फाटक संख्या 43 एवं 43–1

पर 2 आरयूबी का कार्य पूर्ण उक्त आरयूबी की लागत राशि क्रमशः रूपये 270 लाख एवं 442 लाख है।

चौहटन रोड़ रेल्वे फाटक, बाड़मेर में नवीन आरओबी बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत राशि रू. 31.51 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19 जनवरी 21 को जारी की गई।

किशनगढ़ में समपार फाटक संख्या 32 पर 2 लेन आरओबी का कार्य पूर्ण । उक्त आरओबी की लागत राशि 3415.41 लाख है।

बारां में समपार फाटक संख्या 38 पर आरओबी निर्माण हेतु राशि रू. 3322.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18 जनवरी 2021 को जारी की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) –

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (सालाना आय 3.00 लाख तक) व अल्प आय वर्ग (3.00 लाख से 6.00 लाख तक) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने हेतु माह जून 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास–2022 राज्य के समस्त 183 निकाय क्षेत्रों में लागू की गई।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु आवासों की आवश्यकता हेतु कुल 189 निकायों में डिमाण्ड सर्वे करवाया जा रहा है तथा अभी तक 171 निकायों में 3.77 लाख आवासों की मांग सत्यापित की गई है एवं शेष 12 निकायों की अनुमानित मांग 0.23 लाख सहित राज्य में कुल आवासों की सम्भावित मांग 4.00 लाख पाई गई है।

श्री हृदेश कुमार शर्मा निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार) का पदभार ग्रहण किया।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY&NULM)

राज्य में दीनदयाल अन्त्योदय योजना का क्रियान्वयन सभी नगर निकायों में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के गत 2 वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है–

स्वयं सहायता समूहों का गठन इस घटक के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2018 से अब तक कुल 5936 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 5559 समूहों को रिलिविंग फंड जारी करवाया गया है, जिसमें से 1812 स्वयं सहायता समूहों को स्व–रोजगार हेतु अनुदानित ब्याज दर पर बैंक ऋण प्रदान किया गया है।

व्यक्तिगत व समूह ऋण स्वरोजगार हेतु इस घटक के अंतर्गत माह दिसम्बर 2018 से अब तक कुल 4300 व्यक्तियों को अनुदानित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है।

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण इस घटक के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2018 से अब तक कुल 15744 युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 2899 युवाओं रोजगार एवं 667 को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वर्तमान में 5189 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है।

आश्रय स्थलों–वर्तमान में 210 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिसके 10098 व्यक्तियों की रूकने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त सर्दी के मौसम में 1 नवम्बर, 2020 से 107 अस्थायी आश्रय स्थलों का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें 4205 व्यक्तियों की रूकने की क्षमता है।

स्ट्रीट वेंडर्स इस घटक के अंतर्गत अब तक राज्य की 189 निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया गया है तथा 1055 वेडिंग जोन एवं 740 नॉन वेडिंग जोन बनाये गये है।

पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं, रेहडी, ठैले वाले रिक्शा वाले, पान वाले एवं फुटकर व्यवसाईयों को उनके व्यवसाय को पुर्नस्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम अनुदानित ब्याज दर पर 10,000 रूपये का ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है। वर्तमान 2,39,860 पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 147369 पथ विक्रेताओं के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 65836 पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 53694 को ऋण वितरित किये गये।

राज्य में DAY-NULM का

क्रियान्वयन प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा था। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य की सभी नगर निकायो में प्रारम्भ कर दी गई है।

आरयूआईडीपी

द्वितीय चरण में भरतपुर, धौलपुर एवं बाडमेर में सीवरेज कार्य पूर्ण किये गये है एवं लगभग रूपये 39.21 करोड़ का व्यय कर सितम्बर, 2019 में संपूर्ण परियोजना पूर्ण की गई। इन शहरों में 63,43 किमी सीवर लाईन, 2 मल–जल शोधन संयंत्र (एसटीपी–11 एमएलडी क्षमता) के कार्य करवाये गये हैं।

तृतीय चरण (प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम लोन)

पहले तीन वर्षों में नवम्बर 2018 तक परियोजना पर कुल व्यय 683.17 करोड़ रूपये किया गया था. परंतु कार्य की गति में तेजी लाकर लगभग जून, 2021 तक कुल लगभग रूपये 1273 करोड़ का व्यय किया गया।

सीवरेज में 1353 किमी सीवर लाईन, पाली एवं झुंझुनू में दो मल–जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया।

जलप्रदाय योजना में लगभग 1195 किमी पानी की लाइन 02 जल शुद्धिकरण सयंत्र, 09 पानी की टंकिया, 09 पम्पिंग स्टेशन, 08 स्वच्छ जलाशय एवं 102284 हाउस सर्विस कनेक्शन का निर्माण पूर्ण किया गया।

चतुर्थ चरण

प्रथम ट्रेंच में 14 शहरों में 3076.63 करोड़ रूपये के कार्य। एडीबीऋण–2154 करोड़ (300 मिलियन डालर) राज्यांश–922.63 करोड़ (1285 मिलियन डालर) कार्यों पर लगभग 25933 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) –

स्वच्छ भारत मिशन के मुख्यतः 02 घटक– 1. खुले में शौच से मुक्त 2. ठोस कचरा प्रबन्धन। कुल व्यय राशि रूपये 925. 93 करोड एवं राशि रुपये 60.80 करोड़ की भारत सरकार से मांग।

लक्ष्य के विरुद्ध आवश्यक शौचालयों का निर्माण कर सभी 196 नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित एवं भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधियां 2019 व एक्शन प्लान 2019 जारी निकायों के सभी वार्डों में घर–घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है।

ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु पाली एवं भीलवाड़ा शहरों में कम्पोस्ट + आरडीएफ प्लान्ट स्थापित किये जा चुके है एवं

पाली में कचरे से कम्पोस्ट खाद व रिफ्यूजड़ डेराइवड फ्यूल बनाने की अभिनव शुरूआत

उदयपुर में बॉयो गैस प्लान्ट स्थापित किया जा चुका है तथा सीकर में कम्पोस्ट फैसेलिटी का निर्माण किया गया है।

- सीवर व सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रु. 88.00 करोड़ की लागत के आधुनिक मशीनों हेतु सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई, वित्त विभाग द्वारा राशि रू. 44.00 करोड़ रिलीज किये जा चुके है। नगरीय निकायों को 97 मशीन उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

जन घोषणा–

- 15.2 पार्कों के संरक्षण और संवर्द्धन (Promotion) –नगरीय निकायों को पार्कों का संरक्षण और संवर्द्धन एवं विकास कार्यों के लिए 07 नगर निगमों में प्रत्येक नगर निगम को एक करोड़ रू. 34 नगर परिषदों में प्रत्येक को 50.00 लाख रुपये एवं 151 नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 25–25 लाख रु. सहित कुल 61.75 करोड स्वीकृत किये गये है। जिसके अन्तर्गत 106 नगरीय निकायों द्वारा कार्यादेश जारी किये है। 91 नगरीय निकायों में कार्य पूर्ण हो चुके है। 15 नगरीय निकायों में कार्यप्रगति पर है।
- 27.61 प्रदेश के सभी श्मशानों एवं कब्रिस्तानों को आवश्यक सुविधाएं विकसित करना राज्य की नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित श्मशानों/कब्रिस्तान में विकास कार्यों हेतु 07 नगर निगम में प्रत्येक को 1.00 करोड़ रु. 34 नगर परिषदों में प्रत्येक को 50.00 लाख रू एवं 151 नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 20.00 लाख सहित कुल 54.20 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये है। जिसके अन्तर्गत 102 नगरीय निकायों द्वारा कार्यादेश जारी किये है 85 नगरीय निकायों में कार्य पूर्ण हो चुके है।
- 23 नवम्बर, 03 की अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली, पानी व लिंक सड़के आदि का सुविधाऐं प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना। नगरीय निकायों में स्थित अनुसुचित जाति की बस्तियों में मांग अनुसार लगभग 8962 स्ट्रीट लाईट लगवाई जा चुकी है एवं लगभग 31 कि. मी. की सड़को का मरम्मत कार्य तथा लगभग 51.81 कि.मी. की नवीन सड़को का निर्माण कार्य करवाये गये है।

कोरोना प्रबन्धन हेतु निर्णय/नवाचार व अर्जित उपलब्धियां

मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत 4 करोड़ फूड पैकिट जरूरत मदों को वितरित किये गये।

कोविड महामारी से बचाव हेतु 276.46 लाख लीटर सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिड़काव समस्त नगरीय निकाय आबादी क्षेत्र में करवाया गया है।

नगरीय निकायों को मास्क वितरण हेतु रूपये 1137 लाख प्रदान किये गये।

कोविड– 19 महामारी की प्रथम लहर में सफाई एवं अग्निशमन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण (PPE) किट हेतु रू. 1000/– प्रति कर्मचारियों को वितरित किये गये। इसी प्रकार 73141 स्ट्रीट

वेंडरर्स को रू. 3500/– कुल रु. 25.60 करोड़ निकायों को उपलब्ध कराये गये।

कोविड–19 महामारी के दौरान (सम्पूर्ण लॉकडाउन) भारत सरकार के आदेश दिनांक 28 मार्च, 2020 की अनुपालना में प्रवासी मजदूरों एवं बेघर व्यक्तियों निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 रू. प्रति व्यक्ति / प्रति दिन की दर से 1.04 लाख व्यक्तिों को आश्रय प्रदान कर भोजन उपलब्ध कराया गया, जिस पर 1.04 करोड़ रू व्यय किये गये। द्वितीय लहर के दौरान कुल 38211 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया।

कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) योजना 1 जुलाई 2020 से आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रतिशत अनुदानित व्याज दर पर 10,000/– रू.

का बैंकों के माध्यम से पथ विक्रेताओं को ऋण कराया जा है। जिसमें अब तक पथ विक्रेताओं का चिन्हिकरण कर 1.47.369 पथ विक्रेताओं द्वारा आनलाईन ऋण हेतु आवेदन किये जा चुके है, जिसमें से 65,836 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 53,694 ऋण वितरित किये जा चुके है।

विभाग की उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अवार्ड–

जयपुर शहर के परकोटे को UNESCO द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी की सूची मे सम्मलित किया गया है। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 14वीं ग्लोबल फोरम ऑन ह्यूमन सैटलमेंट 2019 के अंतर्गत 5–6 सितंबर, 2019 को यूएन कॉफ्रेंस सेंटर, अदीस अबाबा, ईथोपिया में ससटैनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सैटलमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है।

नगरीय विकास मंत्री ने जयपुरवासियों को दी विकास की सौगात

नगरीय विकास आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने 13 आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की मुख्य सड़कों एवं चौराहों के 22 विकास कार्यों का जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में शिलान्यास किया गया, प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत 21 हजार वें पट्टे का वितरण किया गया एवं फ्री–होल्ड जेडीए पट्टा ऑनलाईन सुविधा का शुभारंभ किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी पन्नाधाय नगर आवासीय योजना कुल 74.98 हैक्टयर क्षेत्र में सृजित की गई थी। उक्त योजना में 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 1711 आवासीय भूखण्ड, ग्रुप हाऊसिंग हेतु 68445.24 वर्गमीटर, फ्लैट आवासीय हेतु 41266.81 वर्गमीटर, रीटेल कॉमर्शियल हेतु 11891.26 वर्गमीटर एवं कॉमर्शियल हेतु 8987.00 वर्गमीटर क्षेत्र आरक्षित किया गया था। योजना का डी ब्लॉक विधवाओं तथा परित्यक्ताओं के लिये आरक्षित किया गया है। योजना में भूखण्डों का डिमार्केशन, सुविधा क्षेत्र में कम ऊँचाई की परिधि वाले, योजना की सम्पर्क सड़क का सुदृढ़ीकरण, मुख्य सड़कों का 8.0 कि. मी. लम्बाई में डामरीकरण व आन्तरिक सड़कों का 9.20 किमी. लम्बाई में डब्ल्यूबीएम द्वारा निर्माण कार्य पर राशि रू

1110.80 लाख व्यय करते हुए कार्य दिसम्बर, 2022 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा घुमन्तु, अर्द्व–घुमन्तु प्रकृति के रहवासियों के पुर्नवास हेतु ग्राम सरना चौड़ में आवासीय योजना सृजित की गई है। प्रस्तावित योजना कालवाड़ रोड़ से रोजदा जाने वाली सड़क पर स्थित है। उक्त योजना लगभग 78.0 बीघा में है, जिसमें 1272 आवासीय भूखण्ड, 88 खुदरा दुकानें तथा 37 व्यावसायिक भूखण्ड सृजित किये गये हैं। योजना की सम्पर्क सड़क के निर्माण/नवीनीकरण व आन्तरिक विकास कार्यों सड़क, नाली तथा चारदीवारी आदि पर राशि रू. 798.00 लाख व्यय करते हुए कार्य सितम्बर 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कालवाड़ रोड़ पर ग्राम भम्भौरी में अमृत कुंज आवासीय योजना सृजित की गई है। उक्त योजना लगभग 80.75 बीघा में प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत लगभग 1036 भूखण्ड सृजित किये गये हैं। योजना के आन्तरिक विकास कार्यों सड़क, नाली व चारदीवारी आदि तथा योजना की सम्पर्क सड़क के नवीनीकरण पर राशि रू. 508.41 लाख व्यय करते हुए कार्य अगस्त 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना हाथोज करधनी एवं हाथोज करधनी विस्तार में आवंटियों द्वारा मकान आदि का निर्माण कर रहना प्रारम्भ

कर दिया गया है। अतः योजना में रहवासियों को आवश्यक सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राशि 309.46 लाख रूपये व्यय करते हुए सड़कों को निर्माण अगस्त 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित कार्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन एवं आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है जिसमे राशि 976.41 लाख व्यय किया जाकर सितम्बर 2022 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

एस.एच.–55 जो कि दिल्ली रोड़ (सड़वा मोड़ से) आंधी तक का है, इसका जमवारामगढ़ तक का भाग जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में आता है। सड़वा मोड़ (दिल्ली रोड़ NH-11C) से जमवारामगढ़ तक सड़क की कुल लम्बाई 21 कि.मी. है, जिसमें से नायला मोड़ से जमवारामगढ़ तक 16 कि.मी. लम्बाई में सड़क को चार लेन में चौड़ाईकरण का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही राशि रूपये 2565.66 लाख का व्यय कर पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य सड़वा मोड़ से नायला मोड़ तक 5 कि.मी. लम्बाई में अब किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर राशि रूपये 1510.39 लाख का व्यय करते हुए कार्य माह दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अंबेडकर सर्किल से सोड़ाला जंक्शन तक मिडियन, फुटपाथ, नाली एवं पार्किंग का पुनः निर्माण कार्य व भवानी सिंह रोड़ एवं हवा सड़क पर दोनों ओर फुटपाथ एवं मिडियन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिससे यातायात सुगमता के साथ–साथ पैदल यात्रियों को आवागमन में सुविधा प्रदान होगी। उक्त कार्य पर राशि रू. 512.15 लाख व्यय करते हुए कार्य माह दिसम्बर 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वाटिका से चन्दलाई तक सड़क का मरम्मत, नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य पर राशि 345.76 लाख रूपये का किया जायेगा। इस सड़क की कुल लम्बाई 7500 मीटर है, जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में कार्य प्रस्तावित है। उक्त लम्बाई में से 6000 मीटर में डामरीकृत सड़क, 1250 मीटर में सी.सी. सड़क एवं 250 मीटर में ईन्टरलॉकिंग टाईल का कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित सड़क वाटिका टाउन एवं चंदलाई टाउन को जोड़ने वाली लिंक सड़क है। वर्तमान में उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण कस्बों को सीधे तौर पर कोई भी सड़क नहीं जोड़ती है, जिस कारण आम नागरिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के बनने से सुगम यातायात उपलब्ध होगा। उक्त कार्य जून 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आवासीय योजना अनुपम विहार में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन एवं आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है जिसमें राशि रू. 433.66 लाख व्यय किया जाकर दिसम्बर 2022 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना निलय कुँज जो वर्ष 2009 में शुरू की गई थी, उसमें आवंटियों द्वारा मकान आदि का निर्माण कर रहवास प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः योजना में रहवासियों को आवश्यक सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राशि रूपये 187.44 लाख व्यय करते हुए सड़कों को निर्माण जून 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सुशासन के तीन वर्ष : स्वायत्त शासन विभाग के ऐतिहासिक कार्य

- **कोरोना प्रबंधन–** कोविड–19 के दौरान 2.10 लाख पथ विक्रेताओं व जरूरतमंदों को रू. 39.35 करोड़, 2. 27 करोड़ मास्क, मुख्यमंत्री भोजन योजना में 4 करोड़ फूड पैकेट वितरित एवं जनजागृति के लिए प्रचार–प्रसार, कोविड जनित मृत्यु पार्थिव देह का निःशुल्क एम्बूलेंस से परिवहन एवं प्रोटोकॉल के तहत सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार।
- **मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट–** कोरोना की द्वितिय लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश के 27 जिलों में कुल 76 नगरीय निकाय क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालय में 119 मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट पर राशि रू. 80.29 करोड़ व्यय कर लगाए जा रहे है। इन ऑक्सीजन प्लान्टों के लगने से प्रतिदिन 11025, 57350 LPM, 110. 25 मीट्रिक टन/6324 बेड की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी। अब तक 100 मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट लगाए जाकर 83 का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। शेष प्लाटों का कार्य प्रगति पर है।
- **ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन–** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छकार कल्याण परिकल्पना को साकार करने एवं सीवरेज सफाई के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने व ठोस अपशिष्ठ प्रंबधन के लिए रू. 176 करोड़ से मशीने, उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में 257 मशीनों की आपूर्ति पूर्ण, शेष की आपूर्ति मार्च, 2022 तक पूर्ण हो जाएगी।
- **आधुनिक डिजिटल म्यूजियम–** राजस्थान विधानसभा भवन में राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे महापुरूषों के योगदान सहित प्रदेश के राजनैतिक आख्यान को भी प्रदर्शित करने के लिए एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम का निर्माण 21,000 वर्ग फीट में जयपुर स्मार्टसिटी लि. द्वारा रूपए 13.47 करोड़ का व्यय कर किया जा रहा है।
- **नीतिगत निर्णय–** जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत जनकार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य की निकायों के वार्डो की संख्या में वृद्धिकर डिलिमिटेशन किया। राज्य में तीन शहरों में दो–दो नगर निगम तथा अन्य 17 नवीन निकायों का गठन, इसके अतिरिक्त गोविन्दगढ़(अलवर) व बोरावड़ (नागौर) नगरपालिका घोषित। निकाय सदस्यों के निर्वाचन में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता

समाप्त, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित तथा नगर निगम में 12, नगर परिशद में 8, नगर पालिका में 6 सहवृत सदस्यों में से एक दिव्यांग सदस्य के मनोनयन का प्रावधान।

- निकायो को कृषि भूमि रूपान्तरण के 90–ए के अधिकार एवं भवन विनिमय–2020 लागू।
- राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में डेयरी बूथ आवंटन में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरापालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों हेतु 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने का प्रावधान।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालने के लिए नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तकनीकी एवं सामान्य मापदण्डों का अध्ययन कर **रूफटॉप बॉयलॉज** बनाये जाने का निर्णय, बॉयलॉज की अधिसूचना जारी।
- राजस्थान विधियां(संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा नगरीय निकायों द्वारा जारी किए गए पट्टों में पट्टाधारक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लघंन करने पर पट्टे को निकाय द्वारा निरस्त किए जाने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान।
- एक लाख के कम जनसंख्या वाले किसी भी शहर के लिए जोनल/सेक्टर डवलपमेंट प्लान अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया।
- **नवाचार–** इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना– 2021 में शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स, बरोजगारों को रोजगार के लिए रू. 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 1.04 लाख लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किये गये।
- **आरयूडीएफ फण्ड–** प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड(आरयूडीएफ) को पुनर्जीवित किया गया है। इस फण्ड के पुनर्जीवित होने से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं उनका आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।
- **विभागीय योजनाएं–** स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत राजस्थान के चार शहरों जयपुर, आजमेर, कोटा, उदयपुर में पार्किंग, चिकित्सा, जलापूर्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खेलकूद, शहरी आधारभूत सुविधाओं के कुल राशि रू. 3728 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 2275.31 करोड़ का व्यय, कुल 393 परियोजनाओं में से 193 पूर्ण, 158 प्रगतिरथ एवं 27 निविदाधीन, वर्श 2018 तक स्वीकृत अनुपयोगी कार्यों के स्थान पर मांग आधारित जनोपयोगी कार्य सम्मिलित, दिसम्बर 2018 के बाद रू. 1981 करोड़ का व्यय कर 168 कार्य रू. 659 करोड़ के पूर्ण, रू. 1987 करोड़ के 286 नये कार्यो के कार्यादेश जारी, **भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर।**
- **अटल नीवीनीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत)** के अंतर्गत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस के कार्यों के लिए रू. 2566 करोड़ का व्यय कर परियोजना को गति दी गई। सीवरेज की 2200 कि.मी. सीवर लाईन, 1.57 लाख सीवर कनेक्सन व 18 एसटीपी का कार्य पूर्ण किया गया। जलापूर्ति में 2776 कि.मी. पेयजल लाईन, 28 सीडब्ल्यूआर, 81 इएसआर का निर्माण व 2.52 लाख पेयजल कनेक्शन जारी। ड्रेनेज में 21 कि.मी. नालों का निर्माण। ग्रीन स्पेस में 92 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण व 14 पार्को का कार्य प्रगतिरत।
- **आरयूआईडीपी** तृतीय चरण में राशि रू. 3490 करोड़ के सीवरेज वे जलप्रदाय कार्य 12 शहरों में से 3 शहरों (बांसवाड़ा–ड्रेनेज, झुंझुनू एवं बीकानेर) में कार्य पूर्ण व अन्य में प्रगतिरत, परियोजना पर रू. 1554 करोड़ व्यय, चतुर्थ चरण के अंतर्गत राशि रू. 3076.63 करोड़ के सीवरेज व जलप्रदाय कार्य 14 शहरों में प्रगतिरत, इन शहरों में अब तक रू. 368 करोड़ व्यय किए गए।

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** के तहत 6041 स्वयं सहायता समुहों को रिवाल्विंग फण्ड जारी, 1812 स्वयं सहायता समूहों को बैंको से ऋण, स्वरोजगार के लिए 4778 व्यक्तियों एवं 52 समूहों को 5391.7 लाख ऋण उपलब्ध, 19121 युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, 7625 का प्रमाणीकरण कर 3807 युवाओं को वैतनिक रोजगार व 561 स्वरोगार से जोड़ा गया है।
- मिशन के तहत 216 **आश्रय स्थलों का संचालन** किया जा रहा है, जिसमें 10423 व्यक्तियों के रूकने की क्षमता उपलब्ध है। सर्दी के मौसम में अतिरिक्त अस्थाई आश्रय स्थल भी बनाए जाते है। राज्य की 189 निकायों में स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए 1055 वेण्डिंग जोन एवं 740 नोन वेण्डिंग जाने बनाये गये है। 21850 पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण –पत्र एवं 34517 को पहचान–पत्र जारी। पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत 75164 पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत कर 56516 पथ विक्रेताओं को राशि रूपए 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **आरओबी/आरयूबी–** अजमेर, नाकर मदार, श्रीनगर रोड़ पर स्थित समपार फाटक संख्या 43 एवं 43/1 पर 2 आरयूबी रूपए 712 लाख की लागत से निर्मित। किशनगढ़ में समफार फाटक पर 3415.41 लाख की

लागत से 2 लेन आरआबी का कार्य पूर्ण। बाड़मेर में चौहटन रोड़ रेलवे फाटक पर 31.51 करोड़ की लागतम से तथा बारां में समफार फाटक संख्या 38 पर 3322 लाख की लागत से नवीन आरओबी बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन।

- **अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण** के लिए 155 फायर ड्राईवरों की भर्ती तथा जयपुर में 70 मीटर ऊंचाई का एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सप्लाई हो चुकी हैं तथा जोधपुर, उदयपुर, कोटा भिवाड़ी के लिए हाइड्रोलिक लेडर क्रय का आदेश जारी व 200 फायर ब्रिगेड क्रय का कार्यादेश जारी आगामी 9 माह में मशीनों की आपूर्ति हो जाएगी।
- **इज ऑफ डूंईग बिजनेस–** राज्य में आम जन की सुविधा हेतु विभाग से सम्बन्धित सेवाओं यथा ट्रेड लाईसेंस, यू.डी.टैक्स, फायर एन.ओ.सी. भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्सन, मोबाईल टॉवर, साईनेज लाईसेन्स, 90–ए भू–रूपान्तरण, प्रोपर्टी आईडी, नाम हस्तानान्तरण, लीजडीड (पट्टा), उप विभाजन एवं पुर्नगठन, लीज राशि जमा आदि के ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही है।
- **पंचम राज्य वित्त आयोग** की सिफारिशों के तहत वर्ष 2019–20 तक कुल अनुदान राशि रूपए 4475 करोड़ व छठे वित्त अयोग की सिफारिशों के तहत 2020–21 में कुल अनुदान राशि रूपए 941 करोड़, चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि गत 03 वर्शों में लगभग राशि रूपए 4554 करोड़, 15वें वित्त आयोग के तहत निकायों को रूपए 1859 करोड़ (2020–21) व रूपए 490 करोड़ की (2020–21) में जारी किए गए।

राज्य का सम्मान : अन्तर्राष्ट्रीय अवॉर्ड

हवामहल, जयपुर

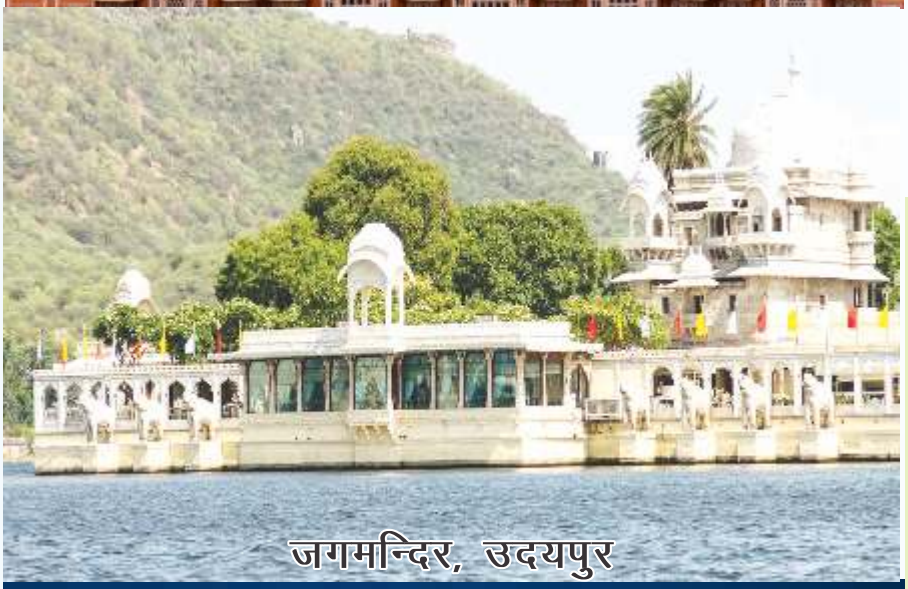

जगमन्दिर, उदयपुर

सिटी पेलेस, उदयपुर

अन्तर्राष्ट्रीय अवॉर्ड

जयपुर शहर विश्व हेरिटेज सिटी सूची में सम्मिलित।

उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 14वीं ग्लोबल फोरम ऑन ह्यूमन सैटलमैंट 2019 के अंतर्गत 5–6 सिंतबर, 2019 को यू.एन. कॉफ्रेंस सेंटर, अदीस अबाबा, ईथोपिया में सस्टैनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सैटलमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है।

चहुँमुखी विकास से निखरता शहर कोटा

''स्मार्ट सिटी मिशन'' के अंतर्गत कोटा शहर का चयन द्वितीय चरण में हुआ। कुल परियोजना लागत राशि – 1456 करोड़, क्षेत्र आधारित विकास (ए. बी. डी.) परियोजना – 1068 करोड़, दिसंबर 2021 तक कुल – 550.52 करोड़ रू. जनोपयोगी विकास के कार्य करवाये जा चुके हैं।

वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना में 75 परियोजना/कार्य राशि 1153.83 करोड़ रू. के स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 32 कार्य राशि 424.24 करोड़ पूर्ण है। 28 कार्य राशि 582.53 करोड़ प्रगति पर है तथा 10 कार्य राशि 121.06 करोड़ निविदा प्रक्रियाधीन है एवं 5 कार्य राशि 26 करोड़ की डी.पी आर. तैयार करने के स्तर पर है।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कुल 374.36 करोड़ रू. के 32 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत रू. 526.47 करोड़ के 28 कार्य प्रगतिरत हैं –

दशहरा मैदान विकास कार्य फेज द्वितीय रू. 32.65 करोड़, इन्द्रागांधी चौराहा गुमानपुरा पर अण्डरपास व फ्लाई ऑवर का निर्माण रू. 56.78 करोड़, आईएल परिसर में उद्यान (ऑक्सीजोन) का विकास (पैकेज–1) रू. 42.54 करोड़, आईएल परिसर में उद्यान (ऑक्सीजोन) का विकास (पैकेज–2) रू. 55.99 करोड़, सिटी पार्क ऑक्सीजोन, पैकेज–3 में विद्युत सौंदर्याकरण का कार्य रू. 13.47 करोड़, ऑक्सीजोन पार्क में स्वागत क्षेत्र का निर्माण

फर्नीचर, मुख्य प्रवेश द्वार, फव्वारा, शीट का कार्य रू. 7.69 करोड़, ऑक्सीजोन में विविध कार्य रू. 4.79 करोड़, नालों का विकास एवं सौन्दर्यकरण का कार्य रू. 10.68 करोड़, एम०बी०एस० हॉस्पीटल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कार्य रू. 34.64 करोड़, जे.के. लॉन हॉस्पीटल में नये ओपीडी ब्लॉक व 156 बेड के चाइल्ड केयर का निर्माण रू. 26.24 करोड़, एमबीएस अस्पताल में नये ओपीडी ब्लॉक में चिकित्सा सुविधा के विस्तार में विविध कार्य रू. 2.54 करोड़, जेके लोन अस्पताल में 156 बिस्तरों वाले नए इंडोर पीडियाट्रिक ब्लॉक और नए ओपीडी द्य ब्लॉक के निर्माण में विविध कार्य रू. 1.95 करोड़, नए मुर्दाघर ब्लॉक का निर्माण रू. 3.45 करोड़, स्पॉर्ट कॉम्पलेक्स का विकास कार्य रू. 19.18 करोड़, मल्टिपरपज स्कुल गुमानपुरा में खेल सुविधाओं का कार्य रू. 4.64 करोड़, ABD एरिया में 24×7 जलापूर्ति का कार्य (पैकेज–1) रू. 95.18 करोड़, ABD एरिया में 24×7 जलापूर्ति का कार्य (पैकेज–2) रू. 36.07 करोड़, अदालत चौराहे का विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य रू. 6.83 करोड़, अदालत सर्किल कोटा में विद्युत सौंदर्यकरण एवं अग्रभाग रोशनी का कार्य रू. 2.23 करोड़, विवेकानंद चौराहे का विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य रू. 20.94 करोड़, विवेकानंद सर्किल नयापुरा कोटा में विद्युत सौंदीकरण और अग्रभाग रोशनी का काम रू. 5.04 करोड़, घोड़े वाले बाबा चौराहे का विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य

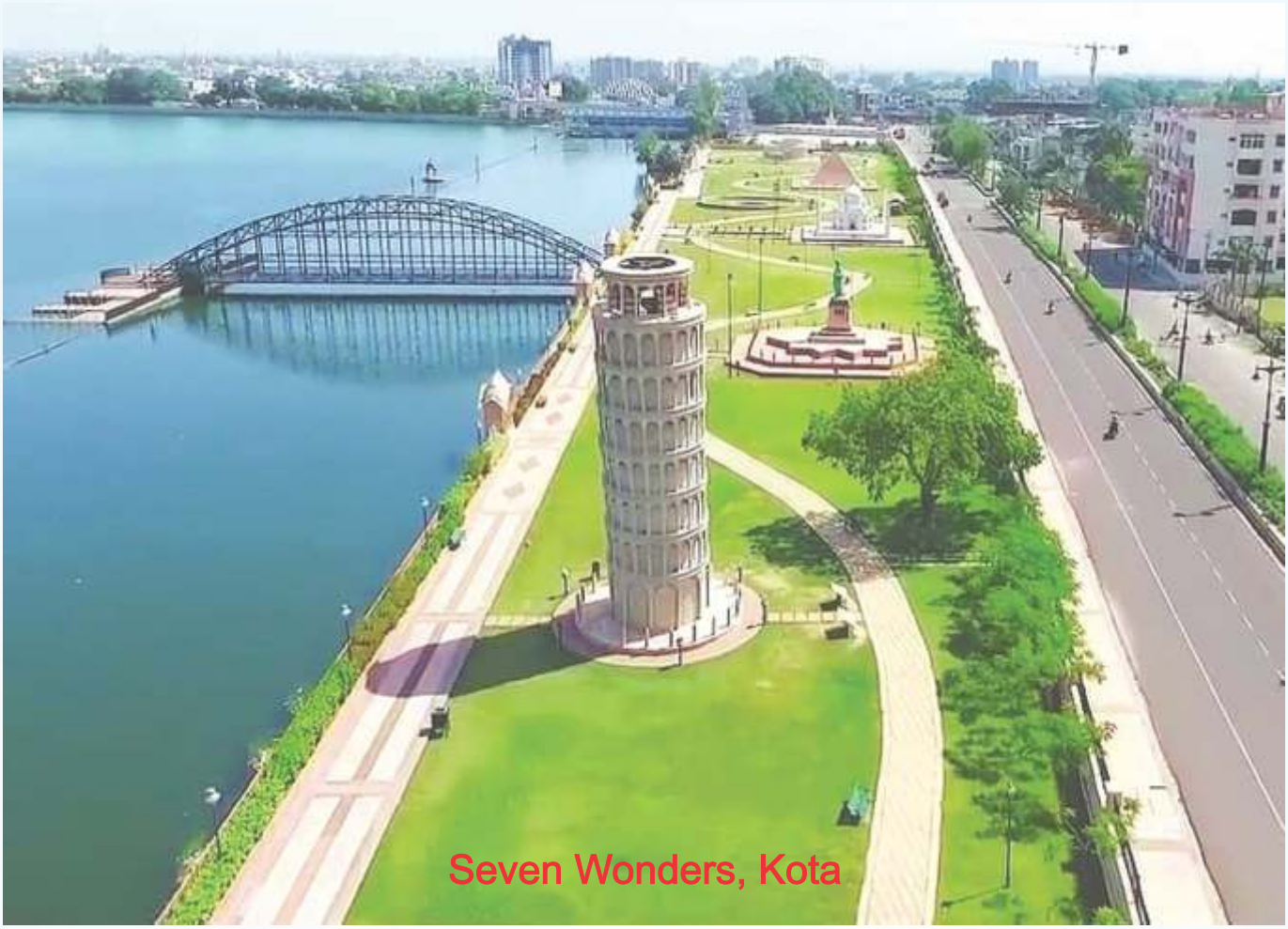

रू. 13 करोड़, गोबरीया बावडी से एयरपोर्ट बाउण्ड्री तक नाले का विकास कार्य रू. 4.56 करोड़, हेरीटेज गेट का निर्माण कार्य रू. 7.46 करोड़, गोबरिया बावड़ी सर्किल में अंडर पास का निर्माण एवं सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्य (पैकेज–2) रू. 3.70 करोड़, एलिवेटेड रोड का सौंदर्यकरण बागवानी एवं अनुरक्षण कार्य, सिटी मॉल, झालावाड़ रोड कोटा के सामने रू. 6.19 करोड़, सी० बी० गार्डन के पास हाट बाजार का नवीनीकरण, विकास और सौंदर्यकरण कार्य रू. 5.00 करोड़, जयपुर गोल्डन के सामने क्षेत्र का विकास, रामपुरा रू. 3.04 करोड़।

० स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 121.06 करोड़ के 10 कार्य करवाये जाऐंगे जिनकी कार्य योजना प्रगति पर है –

नगर निगम ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर Legacy waste का डिस्पॉजल रू. 20.00 करोड़, स्ट्रीट फॉर पीपल चौलेंज साइट गुमानपुरा मार्केट (गुमानपुरा की लिंक रोड एवं मल्टीपरपज स्कूल के बाहर का क्षेत्र) शॉपिंग सेंटर (चौपाटी बाजार के लिए अस्थायी कार्य) रू. 0.17 करोड़, स्ट्रीट फॉर पीपल चौलेंज में स्थायी कार्य साइट गुमानपुरा मार्केट चौलेंज स्थल गुमानपुरा मार्केट (गुमानपुरा की लिंक रोड एवं मल्टीपरपज स्कूल के बाहर का क्षेत्र) और खाली भूमि माणक भवन के सामने और शॉपिंग सेंटर (और चौपाटी बाजार) और सूरजपोल गेट के पीछे रू. 1.27 करोड़, कोटा स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का विकास रू. रू. 80.00 करोड़, – (1. नेहरू पार्क से गोबरिया बावरी 2. कोटड़ी से गुमानपुरा 3. छावनी से गुमानपुरा। 4. एरोड्रम से सीएडी सर्कल 5. सीएडी सर्कल से घटोत्कच सर्कल 6. केशवपुरा से कॉमर्स कॉलेज 7. घोडे वाले बाबा चौराहे से इंदिरा गांधी सर्कल, गीता भवन, महिला घाट, अग्रसेन सर्कलए नेवल सर्कल से नेहरू पार्क। 8. जेडीबी से अग्रसेन सर्कल . सीबी गार्डन से उम्मेद पार्क। 10. नयापरा सर्कल से अंटाघर तक), मल्टीलेवल पार्किंग, गुमानपुरा, कोटा में बेड एलेवेटर और सुरक्षा कैमरे के लिए पैसेंजर स्ट्रेचर की आपूर्ति और स्थापना रू. 0.54 करोड़, मल्टी लेवल पार्किंग, जयपुर गोल्डन, कोटा में बेड एलेवेटर एवं सुरक्षा कैमरे के लिए यात्री स्ट्रेचर की आपूर्ति एवं संस्थापन रू. 0.63 करोड़, अभय कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर के उन्नयन का कार्य रू. 14.47 करोड़, सर्किट हाउस, कोटा में हॉल और किचन ब्लॉक का निर्माण रू. 1.65 करोड़, माला रोड के किनारे

साइकिल ट्रैक का निर्माण रू. 1.38 करोड़, अभय कमांड सेंटर रावतभाटा रोड, कोटा भवन में एलिवेशन में सुधार और जिला कलेक्ट्रेट, कोटा में नये अभय कमांड सेंटर का निर्माण रू. 0.95 करोड़।

० स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत डीपीआर निर्माणाधीन रू. 26 करोड़ के 5 कार्यों का विवरण :

नए एमबीएस ओपीडी भवन का फसाड कार्य रू. 1.99 करोड़, जेके लोन आईपीडी और भवन का फसाड कार्य रू. 1.99 करोड़, साइंस सेंटर का प्रावधान 12.67 करोड़, ऑक्सीजोन पार्क में डक पोण्ड का निर्माण तथा अनोखे पक्षियों की आपूर्ति रू. 1.70 करोड़, नगर निगम कोटा (उत्तर) में चंबल नदी पार क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण रू. 7.65 करोड़।

राजस्थान : ऑक्सीजन प्रबंधन में सिरमौर

कोरोना की द्वितिय लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन प्लान्ट लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की। जिसके तहत प्रदेश के 27 जिलों में कुल 76 नगरीय निकाय क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालय में 119 मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट तैयार किये जा रहे हैं। जिन पर 80.29 करोड़ रू. व्यय होंगे। इन ऑक्सीजन प्लान्ट के लगने से प्रतिदिन 11025 सिलेण्डर, 57350 LPM, 110.25 मीट्रिक टन, 3237.00 घनमीटर, 6324 बेड की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी। अब तक 100 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाकर 83 का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। शेष ऑक्सीजन प्लांटों का कार्य प्रगति पर है।

स्वच्छ भारत मिशन : सफल जन आंदोलन

- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 196 शहरी निकायों को खुल्ले में शौच मुक्त किया जा चुका है।
- इस योजना के अब तक कुल 3.67 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत शहरी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुरुप आवश्यकता अनुसार निकायों द्वारा सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत अब तक कुल 22547 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों (सीट्स) का निर्माण किया जा चुका है।
- वर्तमान में सभी 196 नगर निकाय एक बार थर्ड पार्टी द्वारा ओडीएफ के लिये प्रमाणित किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त 126 **ODF+** तथा 9 **ODF++** प्रमाणित किये जा चुके है।

1. ठोस कचरा प्रबंधन

- ठोस कचरा प्रबंधन हेतु प्रति व्यक्ति रूपये 420/– भारत सरकार द्वारा रूपये 140/– राज्य सरकार द्वारा कुल रूपये 560/– प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में दिये जा रहे है। शेष राशि निकायों द्वारा वहन की जा रही है।
- 196 निकायो के सभी वार्डो में घर–घर से कचरा संग्रहण एवं कचरे का परिवहन किया जा रहा है।

- नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन सड़कों/नालियों की सफाई, घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, परिवहन, का कार्य करवाया जा रहा है।
- राज्य में 11 प्रोसेसिंग प्लांट एवं 98 MRF Facility लगाया जाकर कचरे से खाद ,आरडीएफ एवं बायोगेस बनायी जा रही है। (हाल ही में पाली एवं भीलवाड़ा के प्लान्ट चालू हुये है)
- जयपुर (6 मेगा वाट) एवं जोधपुर (4 मेगा वाट) में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उक्त प्लांट हेतु आवश्यक भूमि की लीजडीड नगर निगम जयपुर के साथ होने के उपरान्त राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ फर्म को पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट किया जाना है।
- 20 स्थानों पर Centralized कम्पोस्ट, आरडीएफ एवं बायोमेथेनेशन प्लांट्स लगाये जाने के स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जो पर्यावरण स्वीकृति मिलने के 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगें।
- जयपुर में 300 TPD C&D waste Recycling & Processing प्लान्ट लगाये जाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- पार्को में कम्पोस्ट पिट एवं कम्पोस्ट मशीनों के माध्यम से कचरे से खाद बनायी जा रही है। बल्क वेस्ट जर्नेटरों द्वारा स्वंय के स्तर पर अपने परिसर में गीले कचरे से खाद बनाये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- निकायों द्वारा कम्पोस्ट मशीनों का

मैकेनिकल ट्रांसफर स्टेशन, नगर निगम, कोटा दक्षिण

क्रय कर गीले कचरे से खाद बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया है। सूखें कचरे की छँटनी हेतु मेटेरीयल रिकवरी फेसेलिटी बनाई जा रही है।

2. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021:—

- राजस्थान राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 12वीं रैंक हासिल की है।
- राजस्थान में डूंगरपुर नगर परिषद् को सबसे साफ शहरों एवं कचरा मुक्त शहर की दोनों श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।

3. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022:—

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 सभी नगरीय निकायों द्वारा तैयारियां प्रारम्भ कर दी गयी है। March 2022 में भारत सरकार की टीम द्वारा फिल्ड असेसमेन्ट किया जायेगा।

कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट प्लान्ट, नगर निगम, उदयपुर

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/1261-1476 दिनांकः 01/02/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषयः– कृषि भूमि रूपान्तरण के एकल पट्टे के प्रकरण चैक लिस्ट में भेजने बाबत।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण के एकल पट्टे के प्रकरण संलग्न चैक लिस्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही विभाग को भेजें जावे।

संलग्नः– चैक लिस्ट प्रारूप।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/1477-1488 दिनांकः 01/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

नगरीय निकाय का नाम .....

प्रारूप

एकल पट्टे के प्रकरण की संवीक्षा हेतु चैक लिस्ट

क्र. सं.	बिन्दु		सूचना	
1.	आवेदक का नाम व पता व पूर्ण विवरण			
2.	भू–स्वामित्व दस्तावेजों अनुसार भू–स्वामी का नाम पता व पूर्ण विवरण			
3.	क्या उक्त भूमि आवेदक की कृषि भूमि है ?			
4.	भूमि का विवरण :–	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टयर)
	आवेदन अनुसार			
	जमाबन्दी अनुसार			
	90–क आदेश अनुसार			
	ले–आउट अनुसार			
	प्रस्तावित एकल पट्टे के रूपान्तरण/नियमन हेतु प्रस्तावित भूमि			
5.	जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति			
6.	पहुँच मार्ग	(i) मौके पर उपलब्ध चौडाई (ii)नियमानुसार न्यूनतम अपेक्षित चौडाई		
7.	क्या आवेदित भू–उपयोग, मास्टर प्लान भू–उपयोग के अनुरूप है या मास्टर प्लान भू–उपयोग में अनुज्ञेय है ?			
8	क्या प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन हुआ है ? यदि हां तो भू–उपयोग परिवर्तन आदेश की प्रति			
9.	प्रकरण में स्थानीय निकाय द्वारा 90–ए की कार्यवाही की जाकर पुर्नग्रहण आदेश जारी करने की दिनांक व संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति।			
10.	नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रति			
11.	ले–आउट अनुमोदन हेतु सक्षम समिति का निर्णय/कार्यवाही विवरण			
12.	यदि प्रकरण में मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी आ रही हो तो उसकी स्थिति एवं क्षेत्रफल			
13.	एकल पट्टा प्रकरण में छुडवाये जाने वाले सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं ले–आउट प्लान पर अंकन/सुविधा क्षेत्र के एवज में जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (जो भी लागू हो)			
14.	क्या यह भूमि अधिसूचित निर्माण निषेध क्षेत्र में आती है या नही ? यदि हां तो विवरण दें			
15.	क्या मूल खातेदारों द्वारा उक्त भूमि के स्थानीय निकाय के हक में समर्पण पत्र, शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किये है या नही ?			
16.	क्या प्रस्तावित भूमि पर स्थानीय निकाय की वर्तमान मे कोई योजना है या किसी अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित है।			
17	एकल पट्टे बाबत राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करने का ब्यौरा			
18	प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट			
19	क्या प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का भुगतान/शुल्क/कर आदि संबंधित निकाय को देय है (विवरण देवें)			
20.	प्रश्नगत भूमि के संबंध में यदि न्यायालय से कोई स्थगन हो अथवा न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई वाद विचाराधीन हो तो उसका विवरण			
21.	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हां तो संबंधित पत्र का कमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र कमांक, दिनांक व प्रति व निर्देशों के कम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी			
22	अन्य बिन्दु जो निर्णय लेने में सहायक हो			
23.	क्या आवेदित भूमि एकल पट्टे के अनुमोदन के लिए पात्र है (स्पष्ट अनुशंषा अंकित करें)			

हस्ताक्षर

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगरीय निकाय .....

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/1250-1253 दिनांकः 31/01/2022

1. आयुक्त,
   नगर परिषद,
   जैसलमेर।

2. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका,
   नाथद्वारा/पुष्कर/आबूपर्वत।

विषयः– कृषि भूमि की 90–ए करने के लिए चैक लिस्ट में प्रकरण भेजने बाबत।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कृषि भूमि की 90–ए करने के लिए संलग्न चैक लिस्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही प्रकरण विभाग को भेजें जावे।

संलग्नः– चैक लिस्ट प्रारूप।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/1254-1260 दिनांकः 31/01/2022

प्रतिलिपि निदेशालय के निम्नांकित संबंधित अधिकारियों को प्रेषित है। विभागीय आदेश क्रमांक 02.11.2021 द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/लिंक अधिकारी द्वारा उपरोक्त चार नगरीय निकायों से कृषि भूमि की 90–ए करने के प्राप्त प्रकरण संलग्न चैक लिस्ट अनुसार जांच कर मय आवश्यक दस्तावेज अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुए पत्रावली अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
6. सचिव, भर्ती चयन आयोग निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

नगरीय निकाय का नाम .....

प्रारूप

धारा 90–ए के प्रकरण की संवीक्षा हेतु चैक लिस्ट

क्र. स.	विशिष्टयां	रिपोर्ट
1.	आवेदक का नाम/पता	
	नवीनतम राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्या आवेदक भूमि का खातेदार है ?	
2.	आवेदन के प्राप्त होने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और पृष्ठों की कुल संख्या	
3.	कम्पनी/फर्म के मामले में, रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख (यदि कोई हो) के साथ रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का ब्यौरा	
4.	ग्राम एवं तहसील का नाम और कुल भूमि क्षेत्र मय खसरा नम्बरान।	
5.	आवेदन प्रारूप के साथ भूमि हक का दस्तावेज	
	(i) पटवारी द्वारा प्रमाणित अंतिम जमाबंदी की प्रति	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति ..... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(ii) पटवारी द्वारा प्रमाणित खसरा अनुरेख नक्शा	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति ..... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(iii) की–प्लान (स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित)	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति ..... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(iv) सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथ–पत्र	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति ..... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
	(v) सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रति ..... /सी पृष्ठ पर रखी गई है।
6.	अभिन्यास योजना इत्यादि के अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकारी को निक्षिप्त करायी गयी रकम के ब्यौरे (पूर्ववर्ती निक्षेपों, यदि कोई हो, के ब्यौरे को सम्मिलित करते हुए)	
7.	स्थल योजना या अभिन्यास योजना (Site plan or lay out plan)	हॉ/नही, यदि हो तो पृष्ठ ...../सी पर रखी गई है।
8.	स्थल आच्छादी संनिर्माण, यदि कोई हो, का नवीनतम फोटो	हॉ/नही, यदि हो तो पृष्ठ ...../सी पर रखी गई है।
9.	क्या आवेदन प्रारूप सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है।	
10.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कोई अन्य दस्तावेज	
11.	(i) अर्जन के संबंध में भूमि की प्रास्थिति, यदि कोई हो। (ii) न्यायालय प्रकरण का ब्यौरा, यदि कोई हो (iii) कोई अन्य संप्रेक्षण या विवाद, यदि कोई हो (iv) क्या भूमि माफी मंदिर से प्रभावित है/नही	
12.	90–ए करने बाबत राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करने का ब्यौरा	

D/PSKS2021/letter

13.	प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट	
14	क्या प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का भुगतान/शुल्क/कर आदि संबंधित निकाय को देय है (विवरण देवें)	
15.	सेक्टर/मास्टर योजना/सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के साथ खसरा/स्थल योजना का अध्यारोपण जो आवेदित भूमि तक पहुंच सडक की स्पष्ट स्थिति दर्शित करता है (जो भी लागू हो)	
16.	क्या आवेदित भूमि से होकर कोई गैस पाईप लाईन गुजर रही है? यदि हां तो उसका ब्यौरा एवं (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप विकास से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
17.	(i) क्या आवेदित भूमि से कोई एच.टी/एल.टी. लाईन गुजर रही है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा या आवेदित भूमि में लगे ट्रांसफार्मर का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप या झाडी रोपण से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
	(ii) आवेदित भूमि के 500 मीटर रेडियस की परिधि में पांवर लाईन एवं 60 फीट अथवा अधिक चौडाई की सडक उपलब्ध है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट	
18.	आवेदित भूमि का प्रभावित करने वाली ग्रीन बेल्ट का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि मे लेण्ड स्केप या झाडी रोपण या पार्किंग से भिन्न कोई संनिर्माण कियाकलाप अनुज्ञेय नही होगा)	
19.	आवेदित भूमि का कोई भी हिस्सा सेक्टर/मास्टर योजना सड़क के अधीन आता है या नही ? (यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा। पूर्ववर्ती पट्टा विलेख/स्थल योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने की स्थिति में यह क्षेत्र नवीनतम सेक्टर या मास्टर योजना की अपेक्षा के अनुसार कम कर दिया जायेगा) यदि हां तो समर्पण की सहमति दी है अथवा नही।	
20.	आवेदित भूमि का क्षेत्र सुविधा के अधीन आता है (राज्य नीति, राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र के उपबन्धों के अनुसार) (यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा किन्तु ऐसे मामलों में जिसका पट्टा विलेख राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 जारी किये जाने की	

	तारीख से पहले निर्मुक्त कर दिया गया है, कम नही किया जायेगा) यदि हां तो की गई कार्यवाही का विवरण दें।	
21.	मार्गाधिकार कितने मीटर का उपलब्ध है? और विद्यमान पहुच सडक कितने मीटर की उपलब्ध है का ब्यौरा मानको के अनुसार उसकी उपलब्धता के संबंध में टिप्पणी सहित एवं क्या यह उपलब्ध सडक की चौडाई आवेदित प्रयोजन के लिए पर्याप्त है या नही स्पष्ट रिपोर्ट करे।	
22.	क्या आवेदित भूमि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित क्षेत्र के अध्यधीन है (अगर नही है तो स्पष्ट रूप से नही लिखे अगर है तो पूरा ब्यौरा देवें)	
23.	भूमि का प्रयोजनः– (क) प्रचलित मास्टर विकास योजना अनुसार (ख) भूमि की स्थिति	
24.	स्थल रिपोर्ट का ब्यौरा (क) खुली भूमि का प्रतिशत (ख) खेती के अधीन भूमि का प्रतिशत (ग) भूमि पर संनिर्माण का प्रतिशत (घ) क्या कोई सीमा दीवार या भूमि का सीमांकन विद्यमान है और स्थल पर उपलब्ध है। (ड.)एच.टी./एल.टी./ट्रांसफार्मर यदि कोई हो की स्थिति (च)प्राकृतिक नाला, जलमग्नता/तालाब/नदी इत्यादि यदि कोई हो के बहाव क्षेत्र की स्थिति (छ)निर्बन्धित क्षेत्र/असुरक्षित क्षेत्र का कोई अन्य ब्यौरा (नियम–3 देखिये) (झ)क्या भूमि लो लाईन ऐरिया से प्रभावित है या नही	
25.	आवेदित भूमि के निकट किसी परियोजना स्थल चाहे विद्यमान हो या अनुमोदित का ब्यौरा, प्रस्तावित/विद्यमान सडक नेटवर्क की, बराबर लगी हुई स्कीम के साथ संबद्धता सहित ब्यौरा	नही/यदि हां तो ब्यौरा पृष्ठ ...../सी पर रखा गया है।
26.	स्थल से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे	
27.	क्या आवेदित भूमि अनुमोदन के लिए पात्र है (स्पष्ट अनुशंषा अंकित करे)	

हस्ताक्षर

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगरीय निकाय .....

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/1000 दिनांक :– 27/01/2022

आदेश

विभाग की जानकारी में आया है कि अभियान के शिविरों के स्थगित होने के कारण निकायों द्वारा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों/प्रकरणों का समय पर निष्पादन नहीं किया जा रहा हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एक बार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021–22 के तहत आयोजित किये जाने वाले के शिविरों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिन्हें स्थिति सामान्य होते ही पुनः प्रारम्भ किया जाने की संभावना है।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते है कि अभियान के शिविर स्थगन की वजह से निकाय में प्राप्त होने वाले आवेदन/प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाना आवश्यक है। साथ ही निम्न प्रकार से कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जाये:–

1. पूर्व में दर्ज सभी अनिस्तारित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण किया जावे।
2. निकाय में प्राप्त प्रकरणों का उसी तत्परता से निष्पादन किया जाये ताकि लाभार्थी को उनका कार्य नियत समय में होकर राहत मिल सके।
3. इन्दिरा क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी को बैंक से लाभ राशि दिलवाना।
4. स्थानीय स्तर पर लम्बित ले–आउट प्लानों के संबंध में एक सप्ताह में नियमानुसार कार्यवाही कर अनुमोदन करवाना।
5. पूर्व में किये गये 69–ए के सर्वे के अनुसार आपने अधीनस्थ स्टाफ को आबादी क्षेत्र के प्रत्येक भूखण्ड–धारी से सम्पर्क कर पट्टा बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कराने को प्रेरित कर आगामी कार्यवाही की जावे।
6. सरकार द्वारा जारी परिपत्रें अनुसार दी गई समस्त छूट का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित किया जावे।
7. विभाग की गूगल शीट एवं वेब पोर्टल पर 02 अक्टूम्बर 2021 से 21.11.2021 तक की प्रगति को अपडेट किया जावे।
8. यदि कोई पत्रावली हस्ताक्षर हेतु महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पास लम्बित हो तो नियमानुसार अविलम्ब उनका निस्तरण करवाया जावें।
9. विभाग द्वारा जारी की गई तीनों मार्ग निर्देशिकाओं में वर्णित समस्त जानकारी अधिनस्थों को देना ताकि विभागीय नियम एवं दी गई छूट का समस्त को ज्ञान रहें।

समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग से अपेक्षा की जाती है कि जब तक शिविर स्थगित है, इस समय का अच्छी तरत से जनहित में उपयोग करवाना सुनश्चित करावें ताकि सरकार की मंशानुसार लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/1001-1225 दिनांक :– 27/01/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास, नगरीय विकास, आवसन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पलिका समस्त राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

20 JAN 2022

क्रमांक: प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 20 JAN 2022

आदेश

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (राजस्थान चेप्टर) द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 में प्रोविजन 3ए. के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग की परियोजनाओं में प्रस्तावित भवनों हेतु भवन की ऊँचाई, पार्श्व एवं पृष्ठ सैटबेक, आदेश दिनांक 31 मई 2017 एवं ऐसी परियोजनाओं के एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अधिकृत होने के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार मार्गदर्शन जारी किये जाते है: –

"समस्त नगरीय निकायों एवं राज्य सरकार द्वारा एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा दिनांक 31.05.2017 के पश्चात् एवं दिनांक 17.07.2018 से पूर्व अर्थात दिनांक 31.05.2017 से 17.07.2018 तक की अवधि में, 45 मीटर तक की ऊँचाई के पार्श्व एवं साइड सैटबेक 6 मीटर रखते हुए अनुमोदित भवन मानचित्र एवं 45 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन मानचित्र मय अन्य प्रचलित भवन विनियमानुसार मानदण्ड रखते हुए अनुमोदित किये गये हैं तो उक्त समस्त अनुमोदित भवन मानचित्र एवं तदानुसार निर्मित भवन, अनुमोदित भवन मानचित्रों/अनुमोदित भवनों की श्रेणी में मान्य होंगे एवं अनुमोदित मानचित्रानुसार निर्माणाधीन/निर्मित ऐसे भवनों हेतु स्थानीय निकाय से पुनः अनुमोदित करवाये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/ एनएएचपी/2014 पार्ट दिनांक 03.07.2020 के क्रम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की परियोजनाओं में बेटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशोंनुसार एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स/पंजीकृत वास्तुविद द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने पर अधिवास एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र नियमानुसार जारी किये जा सकेंगे।"

राज्य में दिनांक 16.10.2020 से प्रभावी मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 के लागू होने के उपरान्त नगरीय निकायों द्वारा उक्त भवन विनियमों को संबंधित नगरीय क्षेत्र में लागू करने हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक/दिवस से पूर्व राज्य की समस्त नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत गठित एम्पॉवर्ड कमेटी द्वारा पार्श्व एवं साइड सैटबेक 6 मीटर रखते हुए समस्त ऊँचाई के अनुमोदित भवन मानचित्र भी मान्य होंगे अर्थात ऐसे अनुमोदित मानचित्रों में राज्य सरकार की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक/दिवस के उपरान्त अनुमोदित/अनुमोदनाधीन प्रकरणों में न्यास स्तर पर 30 मीटर एवं प्राधिकरण स्तर पर 40 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के मानचित्र अनुमोदन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष रोयल) 20.1.2022
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

20.1.2022
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका सुमेरपुर (पाली)

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

1. शहर के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें।
2. प्लास्टिक की थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करें।
3. शहर का सौन्दर्यकरण में नगर पालिका का सहयोग करें।
4. जन्म-मृत्यु का नगरपालिका रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर प्रमाण पत्र लेवें।
5. सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग नहीं लगावें।
6. खुले में शौच न जाकर, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
7. यू.डी. टैक्स का स्वयं निर्धारण कर इसे समय पर नगर पालिका कोष में जमा करवाएं।

मास्क पहनें, भीड़ में जाने से बचें,
वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवायें
वैक्सीनेशन के प्रति सबको जागरूक बनायें

कोरोना वायरस की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए राजस्थान सरकार तत्परता के साथ सभी कदम उठा रही है। बिना आवश्यक भय के आवश्यक सावधानियों का पालन करें तथा लक्षण पाये जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

श्रीमती उषा कंवर राठौड़
अध्यक्ष

श्री योगेश आचार्य
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, नोखा (बीकानेर)

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

1. स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
2. पोलिथीन की थैली का उपयोग न करें।
3. जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन करें।
4. अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने शहर को सुन्दर बनायें।
5. घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पट्टाधारी आवासहीन पात्र व्यक्ति नगर पालिका में आवेदन कर लाभ उठायें उठायें।
7. अवैध रूप से कृषि भूमि पर बिना 90ए के काटी गई कॉलोनी में भूखण्ड ना खरीदें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

श्री नारायण झँवर
अध्यक्ष

श्री निर्मल बूरा
उपाध्यक्ष

श्री अभिनाथ शर्मा
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, भवानीमण्डी

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

यह शहर हमारा है, इसे स्वच्छ, सुन्दर बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गिला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।
- भवन निर्माण सामग्री को अन्य कचरे में न मिलायें।
- नाला व तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- प्लास्टिक थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग ना करें।

कोरोना को लौटकर ना आने दें।

- घर से निकलते समय मास्क उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- बार-बार साबुन से हाथ धोयें।
- दो गज की दूरी बनाये रखें।
- कोरोना गाइडलाईन का पालन करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें।
- खाँसते व झींकते समय मुँह पर हाथ या रूमाल लगायें।
- कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अपना उत्तरदायित्व समझे।

श्री अनिल वर्मा
उपाध्यक्ष

श्री कैलाश बोहरा
अध्यक्ष

श्री मनीष मीणा
अधिशाषी अधिकारी

15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण

- ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हैं। कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं।
- आधार कार्ड, स्कूल आई.डी. कार्ड/ फोटो पहचान पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र पंजीकरण के लिए मान्य होंगे।
- अधिक जानकारी के लिए www.cowin.gov.in पर लॉगिन करें या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर परिषद्, हनुमानगढ़

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

यह शहर हमारा है, इसे स्वच्छ सुन्दर बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

- प्लास्टिक की थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करें।
- सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग नहीं लगावें।
- खुले में शौच न जाकर, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
- शहर के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें।
- शहर का सौन्दर्यकरण में नगर पालिका का सहयोग करें।

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू

- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

श्री गणेश राज बंसल
अध्यक्ष

श्रीमती पूजा शर्मा
आयुक्त

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर परिषद्, नागौर

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

**यह शहर हमारा है,
इसे स्वच्छ,
सुन्दर बनाये रखना
हम सबकी जिम्मेदारी है।**

- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गिला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।
- भवन निर्माण सामग्री को अन्य कचरे में न मिलायें।
- नाला व तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- यह आपका अपना शहर है, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें और किसी को करने दें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- प्लास्टिक थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग ना करें, अपने साथ कपड़े का कैरी बैग रखने की आदत बनायें, ताकि प्लास्टिक व पोलिथीन लेने की आवश्यकता ही न पड़ें।

कोरोना को लौटकर ना आने दें।

- घर से निकलते समय मास्क उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- बार-बार साबुन से हाथ धोयें।
- दो गज की दूरी बनाये रखें।
- कोरोना गाइडलाईन का पालन करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें।
- खाँसते व छींकते समय मुँह पर हाथ या रूमाल लगायें।
- कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अपना उत्तरदायित्व समझे।
- ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हैं। कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं।
- आधार कार्ड, स्कूल आई.डी. कार्ड/ फोटो पहचान पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र पंजीकरण के लिए मान्य होंगे।
- अधिक जानकारी के लिए www.cowin.gov.in पर लॉगिन करें या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

श्रीमती मीतू बोथरा
सभापति

श्री जोधाराम
आयुक्त

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर परिषद्, सीकर

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

:- आम सूचना :-

कोरोना से अपना जीवन बचायें

- 'नो मास्क-नो एन्ट्री'
- 'दो गज की दूरी बेहद जरूरी'
- 'बार-बार हाथ धाते रहें या हाथ सेनेटाइज करें'

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू

- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के अन्तर्गत नगर परिषद्, सीकर ने सबसे अधिक 5000 पट्टे जारी किये।

- शहर के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें।
- प्लास्टिक की थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करें।
- शहर का सौन्दर्यकरण में नगर पालिका का सहयोग करें।
- सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग नहीं लगावें।
- खुले में शौच न जाकर, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करें।
- अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने शहर को सुन्दर बनावें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

श्री जीवन खान
सभापति

श्री श्रवण कुमार विश्नोई
आयुक्त

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, लालसोट

श्री शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

श्री परसादी लाल
चिकित्सा मंत्री

आमजन से अपील

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जहर मत दो अभियान

भले ही चारा मत दो पर प्लीज पॉलीथीन का जहर भी मत दो

पॉलीथीन का कम प्रयोग करें व प्रयुक्त पॉलीथीन को निर्धारित पात्र में डालकर पॉलीथीन मुक्त अभियान में सहयोग देवें।

अपने कपड़े का कैरी बेग रखने की आदत बनायें, ताकि प्लास्टिक व पॉलिथीन लेने की आवश्यकता ही न पड़े।

घर-घर अलख जगायेंगे
जीव-जमीन बचायेंगे

रक्षा मिश्रा
अध्यक्ष

कोरोना से अपना जीवन बचायें

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू

- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

सीमा चौधरी
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

:- आम सूचना :-

जिम्मेदार नागरिक बनें, अपने शहर साफ एवं स्वच्छ रखें

- स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- पॉलिथीन की थैली का उपयोग न करें।
- जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन करें।
- अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने शहर को सुन्दर बनायें।
- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।
- अवैध होर्डिंग्स व विज्ञापन न लगावें, इससे शहर की सुन्दरता खराब होती है।
- शहर के सौन्दर्यकरण में नगर निगम का सहयोग करें।

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू

- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

श्री अभिजीत कुमार
महापौर

श्री कमल राम मीणा
आयुक्त

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, बहरोड़

आमजन से अपील

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

यह शहर हमारा है, इसे स्वच्छ, सुन्दर बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

- भवन निर्माण सामग्री को अन्य कचरे में न मिलायें।
- नाला व तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- प्लास्टिक थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग ना करें, अपने साथ कपड़े का कैरी बैग रखने की आदत बनायें ।
- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गिला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।
- यह आपका अपना शहर है, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें और किसी को करने दें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

हम सबका यही है नारा, कोरोना मुक्त हो देश हमारा

ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हैं। कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं। आधार कार्ड, स्कूल आई.डी. कार्ड/ फोटो पहचान पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र पंजीकरण के लिए मान्य होंगे।

- घर से निकलते समय मास्क उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- कोरोना गाइडलाईन का पालन करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें।
- बार-बार साबुन से हाथ धोयें।
- दो गज की दूरी बनाये रखें।
- खाँसते व छींकते समय मुँह पर हाथ या रूमाल लगायें।
- कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अपना उत्तरदायित्व समझे।
- अधिक जानकारी के लिए www.cowin.gov.in पर लॉगिन करें या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

श्री सीताराम यादव
अध्यक्ष

श्री रोहित मील
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, मेड़ता सिटी

सहयोगपूर्ण अपील

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आओ मिलकर निभायें जिम्मेदारी-सुन्दर रहे सिटी हमारी

- प्लास्टिक थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग ना करें, अपने साथ कपड़े का कैरी बैग रखने की आदत बनायें ।
- भवन निर्माण सामग्री को अन्य कचरे में न मिलायें।
- यह आपका अपना शहर है, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें और किसी को करने दें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- नाला व तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गिला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।

मास्क पहनें, भीड़ में जाने से बचें,
वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवायें
वैक्सीनेशन के प्रति सबको जागरूक बनायें

प्रिकॉशन डोज
जिन्होंने कोरोना वैक्सीजन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोल के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

कोरोना वायरस की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए राजस्थान सरकार तत्परता के साथ सभी कदम उठा रही है। बिना किसी भय के आवश्यक सावधानियों का पालन करें तथा लक्षण पाये जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

श्री गौतम टांक
अध्यक्ष

श्री रामरतन चौधरी
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

:- आम सूचना :-

यह शहर हमारा है, इसे स्वच्छ, सुन्दर बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

- शहर के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें।
- प्लास्टिक की थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करें।
- शहर का सौन्दर्यकरण में नगर निगम का सहयोग करें।
- सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग नहीं लगावें।
- खुले में शौच न जाकर, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
- नदी तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- गीले व सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबीन का प्रयोग करें जिससे इस कचरे का सही तरीके से परिवहन व निस्तारण हो सकें।

हम सबका यही है नारा, कोरोना मुक्त हो देश हमारा

मास्क पहनें, भीड़ में जाने से बचें,
वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवायें
वैक्सीनेशन के प्रति सबको जागरूक बनायें

कोरोना वायरस की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए राजस्थान सरकार तत्परता के साथ सभी कदम उठा रही है। बिना किसी भय के आवश्यक सावधानियों का पालन करें तथा लक्षण पाये जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू

- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

श्री राजीव अग्रवाल
महापौर

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

कीर्ति राठौड़
आयुक्त

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका, सूरतगढ़

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

आमजन से अपील

आओ मिलकर शहर को सुन्दर और स्वच्छ बनायें

- प्लास्टिक थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग ना करें, अपने साथ कपड़े का कैरी बैग रखने की आदत बनायें ।
- भवन निर्माण सामग्री को अन्य कचरे में न मिलायें।
- यह आपका अपना शहर है, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें और किसी को करने दें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- नाला व तालाब आदि को कचरा मुक्त रखें।
- घर-घर कचरा संग्रहण वाहन में गिला व सूखा कचरा अलग-अलग डालें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

कोरोना को लौटकर ना आने दें

ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हैं। कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं। आधार कार्ड, स्कूल आई.डी. कार्ड/ फोटो पहचान पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र पंजीकरण के लिए मान्य होंगे।

- घर से निकलते समय मास्क उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- कोरोना गाइडलाईन का पालन करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें।
- बार-बार साबुन से हाथ धोयें।
- दो गज की दूरी बनाये रखें।
- खाँसते व छींकते समय मुँह पर हाथ या रूमाल लगायें।
- कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अपना उत्तरदायित्व समझे।
- अधिक जानकारी के लिए www.cowin.gov.in पर लॉगिन करें या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

श्री ओमप्रकाश कालवा
अध्यक्ष

श्री विजय प्रताप सिंह
अधिशाषी अधिकारी

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, भीनमाल

शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

:- आम सूचना :-

कोरोना से अपना जीवन बचायें

- 'नो मास्क-नो एन्ट्री'
- 'दो गज की दूरी बेहद जरूरी'
- 'बार-बार हाथ धोते रहें या हाथ सेनेटाइज करें'

प्रिकॉशन डोज

- जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। वे दूसरी डोज के लगभग 9 माह बाद बूस्टर डोज लगा सकते है।
- 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की वैक्सीन शुरू
- वर्ष 2007 या इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर व किशोरियों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। अपना पंजीयन करायें व निर्देशानुसार टीकाकरण करवाएं।

- शहर के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें।
- प्लास्टिक की थैली व प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करें।
- शहर का सौन्दर्यकरण में नगर पालिका का सहयोग करें।
- सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग नहीं लगावें।
- खुले में शौच न जाकर, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करें।
- अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने शहर को सुन्दर बनावें।

चिरंजीवी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें

श्रीमती विमला सुरेश बोहरा
अध्यक्ष

श्री प्रेमराज बोहरा
उपाध्यक्ष

श्री आशुतोष आचार्य
अधिशाषी अधिकारी

नगर परिषद् , पाली

एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार

राजस्थान _ सतर्क_ है

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर से शुभारम्भ

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

पंजीकृत लीज होल्ड पट्टा/श्रृंखला दस्तावेज समर्पित कर नया फ्री होल्ड (चिरकालीन) पट्टा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

- लीज होल्ड पट्टा के स्थान पर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें।
- फ्री होल्ड पट्टा हेतु मात्र 2 वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा करावें। यह राशि भी पूर्व में जारी पट्टा पर लागू दर से ही निर्धारित होगी।
- फ्री होल्ड पट्टा मात्र 500 रुपये के स्टाम्प के साथ जारी किया जायेगा।
- फ्री होल्ड पट्टा का पंजीयन भी मात्र 500 रुपये में होगा।
- एक मुश्त लीज जमा करवाकर नया फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें।
- नाम परिवर्तन हेतु नाम मात्र का शुल्क जमा करवाकर नया पट्टा प्राप्त करें।
- कृषि भूमि की नियमन दरों में भारी छूट का लाभ उठाकर पट्टा प्राप्त करें।

शान्ति कुमार धारीवाल
स्वायत्त शासन एवं यूडीएच मंत्री
राजस्थान सरकार

टीकाराम जूली
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व कारागार विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री

अधिक जानकारी के लिए - वेबसाइट shahar2021.rajasthan.gov.in पर विजिट करें हेल्प डेस्क : 1800 180 6127

नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री राजस्थान

ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव

वेक्सिनेशन, मास्क एवं सोशल डिस्टेंस पूरा बचाव

करवाईये वैक्सीनेशन

पहनिए मास्क

धोइए हाथ

रखिए दो गज की दूरी

स्वच्छ भारत मिशन 2.0

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

जिला प्रशासन एवं नगर परिषद, पाली
के संयुक्त तत्वावधान में

जहर मत दो अभियान

भले ही चारा मत दो पर प्लीज पॉलीथीन का जहर भी मत दो

घर-घर अलख जगायेंगे
जीव-जमीन बचायेंगे

पॉलीथीन का कम प्रयोग करें व प्रयुक्त पॉलीथीन को निर्धारित पात्र में डालकर पॉलीथीन मुक्त पाली अभियान में सहयोग देवें।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

SWACHH BHARAT MISSION
ODF
GARBAGE FREE CITY

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

- नगर परिषद पाली ODF+ घोषित किया जा चुका है।
- वर्ष 2021-22 में ODF++ के लिए आवेदन।
- गारबेज फ्री सिटीज 3 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए आवेदन।

विशेषः- सभी नागरिकों से निवेदन शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें एवं इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन पाली शहर को स्वच्छता में पूरे भारत वर्ष में अच्छा स्थान प्राप्त करवायें

रेखा राकेश भाटी
सभापति

ललित प्रितमानी
उपसभापति

बृजेश राय
आयुक्त

नगर पालिका, रानी
राजस्थान सरकार
राजस्थान _ सतर्क _ है
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर से शुभारम्भ
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021
पंजीकृत लीज होल्ड पट्टा/शृंखला दस्तावेज समर्पित कर नया फ्री होल्ड (चिरकालीन) पट्टा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर
• लीज होल्ड पट्टा के स्थान पर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें।
• फ्री होल्ड पट्टा हेतु मात्र 2 वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा करावें। यह राशि भी पूर्व में जारी पट्टा पर लागू दर से ही निर्धारित होगी।
• फ्री होल्ड पट्टा मात्र 500 रुपये के स्टाम्प के साथ जारी किया जायेगा।
• फ्री होल्ड पट्टा का पंजीयन भी मात्र 500 रुपये में होगा।
• एक मुश्त लीज जमा करवाकर नया फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें।
• नाम परिवर्तन हेतु नाम मात्र का शुल्क जमा करवाकर नया पट्टा प्राप्त करें।
• कृषि भूमि की नियमन दरों में भारी छूट का लाभ उठाकर पट्टा प्राप्त करें।
अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान
शान्ति कुमार धारीवाल
टीकाराम जूली
अधिक जानकारी के लिए - वेबसाइट shahar2021.rajasthan.gov.in पर विजिट करें हेल्प डेस्क : 1800 180 6127
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार
ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव
वेक्सिनेशन, मास्क एवं सोशल डिस्टेंस पूरा बचाव
अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री राजस्थान
करवाईये वैक्सीनेशन
पहनिए मास्क
धोइए हाथ
रखिए दो गज की दूरी
स्वच्छ भारत मिशन 2.0
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022
घर-घर अलख जगायेंगे
जीव-जमीन बचायेंगे
उपखण्ड प्रशासन एवं नगर पालिका, रानी
जहर मत दो अभियान
भले ही चारा मत दो पर प्लीज पॉलीथीन का जहर भी मत दो
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022
ODF
GARBAGE FREE CITY
• नगर पालिका रानी ODF+ घोषित किया जा चुका है।
• वर्ष 2021-22 में ODF++ के लिए आवेदन।
• गारबेज फ्री सिटीज 3 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए आवेदन।
भरत राठौड़
अध्यक्ष
डालचन्द चौहान
उपाध्यक्ष
मोहम्मद इलियास
प्रतिपक्ष नेता
दीन मोहम्मद
अधिशाषी अधिकारी

GROWTECH
Construction Services

Plot No. 76A, Mahaveer Puram City
Back Side of FunWorld, Chopasani
Jodhpur-342008
(m) -91-9828658108, +91-9588016096
Mail-growtechservices@hotmail.com

<u>OUR SERVICES</u>

A. **SURVEY-** *ALL TYPES OF SURVEYING & PREPARATION OF DRAWING*
B. **HEIGHWAY –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
C. **WATER SUPPLY –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
D. **SEWERAGE SYSTEM –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
E. **IRRIGATION SYSTEM –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
F. **RAILWAY –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
G. **STRUCTURAL –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
H. **ARCHITECTURAL PLANNING AND DESIGNING**
I. **BRIDGE –** *SURVEY, PLANNING, DESIGN AND ESTIMATE*
J. **GIS -** *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM*
K. **DATE BASE SOLUTION**

मैसर्स भाग्यश्री कन्स्ट्रक्शन

मैसर्स बाणमाता कन्स्ट्रक्शन

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

PWD, नगर परिषद्

सोहन मेहता
1-ब-13, कमला नेहरू नगर,
हाउसिंग बोर्ड, पाली (राज.)
मो. 9414151313

प्रणव सिंह गहलोत
2-क-13-14, कमला नेहरू नगर,
हाउसिंग बोर्ड, पाली (राज.)

मैसर्स गुरुप्रीत सिंह कॉन्ट्रेक्टर

"B" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर निगम, नगर परिषद्

गुरुप्रीत सिंह
गिल कृषि फार्म, सरदार समंद रोड़, पाली (राज.)
मो. 9829266845

मैसर्स सत्यम कन्सट्रक्शन

"c" क्लास कॉन्ट्रेक्टर
नगर परिषद्

मैमर्स हनुमान सिंह मूल सिंह

"B" क्लास कॉन्ट्रेक्टर
नगर परिषद्

हनुमान सिंह राजपुरोहित,
(अध्यक्ष, ठेकेदार संघ, नगर परिषद, पाली)
ग्राम-ढाबर, पाली मो. 9950839163

मैसर्स तिवारी पाईप ट्रेडर्स

मैसर्स मिश्रा ट्रेडर्स

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर
PWD, नगर परिषद्

श्याम कुमार तिवारी
शिवाजी नगर, पाली
मो. 9413167404

रमाकांत मिश्रा
116,भवानी कॉलोनी,
सरदार समंद रोड़, पाली
मो. 9414288959

मैसर्स पी.आर. चौधरी

"D" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

पुखराज चौधरी

47, राजाराम पटेल नगर, पाली

मो. 9829537875

मैसर्स जिनेश्वर कन्स्ट्रक्शन

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

PWD, नगर परिषद्

अरुण कुमार भंसाली

जैन मौहल्ला, रोहट, पाली

मो. 9414615215

मैसर्स एस. के. कन्सट्रक्शन

"D" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

मैसर्स राधाकृष्ण कन्सट्रक्सन

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

जय अम्बे ऐजेन्सी

सुनील कुमार गोयल
48, आदर्श नगर, पाली
मो. 8619472751

शेखर सिंघल
163, गली नं 2, राम नगर, पाली

मैसर्स शाहिद अल्ला खान

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

शाहिद अल्ला खान
27 सिंधीयों की ढाणी जोधपुर रोड़ पाली
मो. 9413875318

मैसर्स किशन सिंह राजपुरोहित

मैसर्स पूरण कंसट्रक्सन कंपनी

"B" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

किशन सिंह राजपुरोहित

25, रजत विहार नया गांव रोड़, पाली

मो. 9829114820, 9468775890

मैसर्स माँ कृपा कन्सट्रक्सन कंपनी

"B" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

पंकज ओझा

(जिला अध्यक्ष, नगर निकाय जिला पाली)

31, सरदार पटेल नगर, पाली

मो. 8104201159

मैसर्स राजीव कन्सट्रक्शन कंपनी

"B" क्लास कॉन्ट्रेक्टर

नगर परिषद्

राजीव मेहता

11, बापू नगर, पाली

मो. 8949195415, 9414700809

मैसर्स मेघा फाइबर्स

फाउंटेन, फाइबर मोनूमेन्ट्स निमार्ण विशेषज्ञ

"C" क्लास कॉन्ट्रेक्टर नगर परिषद्

देवेन्द्र कुमार धोका

7, लोढ़ो का बास, सोमनाथ मंदिर के पास, पाली

मो. 9414120693

मैसर्स हासम खाँ / बच्चू खाँ

'A A' क्लास कॉन्ट्रेक्टर

पी.डब्ल्यू.डी, रीको, नगर परिषद

4, सिन्धियों की ढ़ाणी, जोधपुर रोड़, पाली (राज.)

हासम खाँ – 9214434796

आसिफ खाँ – 9001088430

रोटी बैंक, जीरावल मित्र मण्डल, पाली

(असहाय व्यक्तियों एवं जानवरों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था)

अध्यक्ष
आनंद कवाड़ (भैरव कंसट्रक्शन)
सचिव
लखपत भंडारी
कोषाध्यक्ष
रोशन सेमलानी

ROTI BANK
ACCOUNT NO.
29026101140006061
IFSC:- RSCB0029026
THE PALI CENTRAL COOP. BANK LTD. PALI

राणा प्रताप चौक, पुराना बस स्टैण्ड, पाली मो. 9414121126

मैसर्स कृष्णा कंसल्टेन्ट्स

नगर मित्र, ड्रोन/टी.एस. सर्वे कार्य

नगर परिषद् एवं नगर पालिकाएं

दिनेश सिघंवी

रीको क्वाटर्स के सामने, महावीर नगर, पाली

मो. 8949922424

अभियन्ता एवं समस्त ठेकेदारगण

नगरपालिका, खुड़ाला

फालना जिला पाली

मो. 7300236393

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

श्री शांति धारीवाल
स्वायत्त शासन मंत्री

''कोई भूखा नहीं सोए'' के संकल्प को साकार करने की दिशा में

इन्दिरा रसोई योजना

- 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयां।
- ग्रामीण एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 400 नई रसोईयां प्रस्तावित।
- अब तक 4 करोड़ लाभान्वित, अगले वर्ष 10 करोड़ लाभान्वितों का लक्ष्य।
- लाभार्थियों को 8 रु. में सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन।
- भोजन मेन्यू में चपाती, सब्जी, दाल व आचार।
- कोरोना काल में 71 लाख भोजन पैकेट का नि:शुल्क वितरण।
- आई टी आधारित रियल टाईम मॉनिटरिंग।
- इंदिरा रसोई वेब पोर्टल, वेबसाईट विकसित।
- प्रारम्भ से लेकर अब तक फेयरलेस कार्य।
- रसोई एजेन्सी द्वारा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से ऑनलाईन इनवायस जनरेशन।
- अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को नगद पुरस्कार।

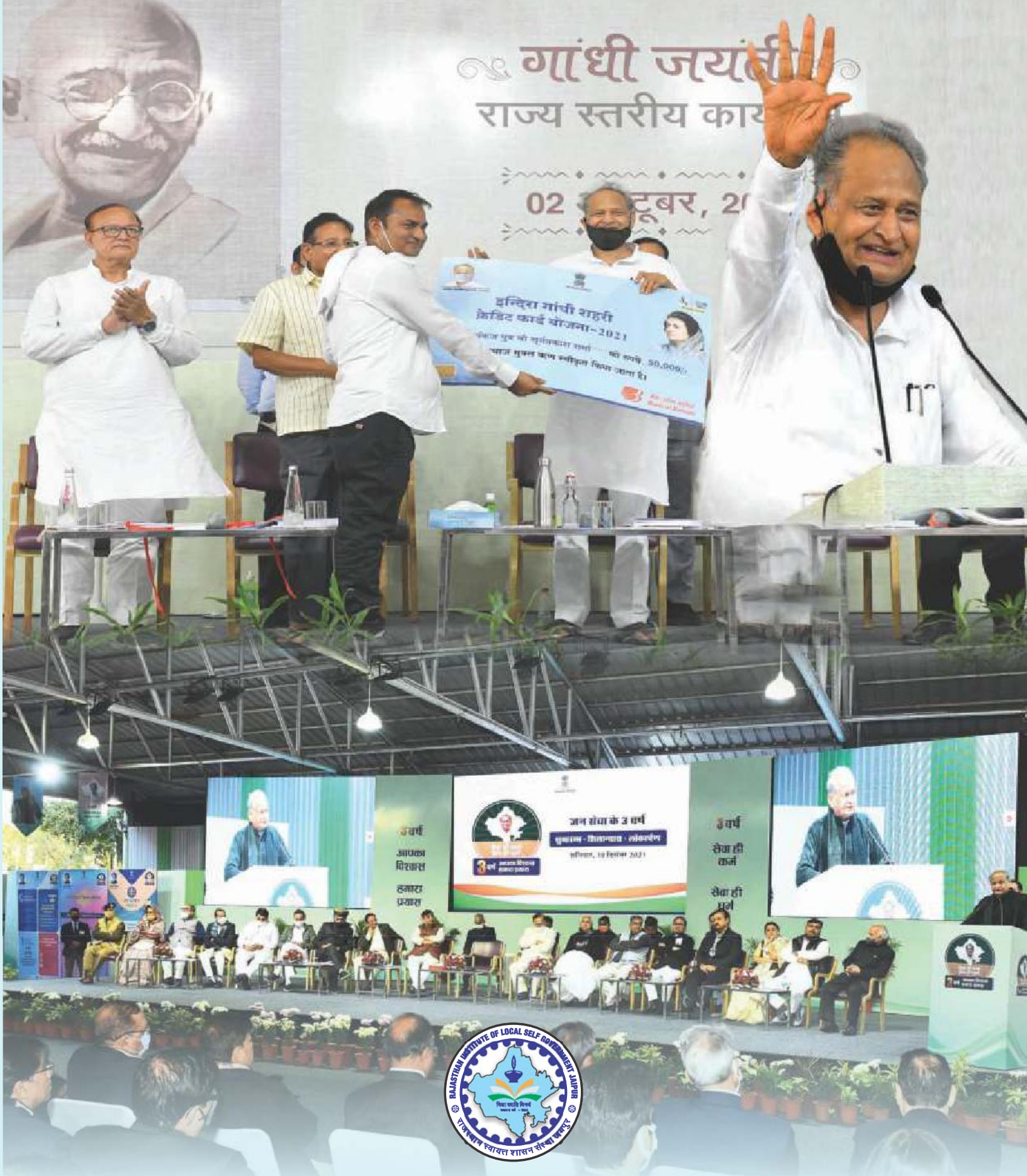

प्रकाशक

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, नेहरू गार्डन के पास, टोंक रोड़, जयपुर, फोन नं. 0141-2710806